चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/4143
दिनांक : 24-1-2026

सेवा में,

01. सचिव/प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय/संस्थान,
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

02. विभागाध्यक्ष, समन्वयक, निदेशक,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर,
मेरठ।

विषयः–गणतंत्र दिवस समारोह, 26 जनवरी, 2026 को गरिमापूर्ण ढंग से मनाये जाने के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, सूचना अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–01/2026/45/उन्नीस–2–2026–1139/86 दिनांकः 22 जनवरी, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो कि गणतंत्र दिवस समारोह, 26 जनवरी, 2026 को गरिमापूर्ण ढंग से मनाये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र की छायाप्रति समस्त संलग्नों सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि पत्र में उल्लेखित दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

कुलसचिव
24/1/26

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
03. प्रभारी वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

कुलसचिव

संख्या-01 /2026/45/उन्नीस-2-2026-1139/86

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

सूचना अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 22 जनवरी, 2026

विषयः गणतंत्र दिवस समारोह, 26 जनवरी, 2026 को गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जाना।

महोदया/ महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान तथा पूर्ण गणतंत्र बनने की याद दिलाने वाला 77वाँ गणतंत्र दिवस समारोह परम्परागत रूप से सादगी, परन्तु आकर्षक ढंग से मनाया जाएगा।

2. समारोह की व्यवस्था हेतु एक परामर्शदाता समिति गठित कर ली जाए, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों के परिजनों, विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों, सरकारी विभागों, शैक्षिक संस्थाओं, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय आदि के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।

3. गणतंत्र दिवस समारोह, 2026 के सम्बन्ध में आपकी सुविधा के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा नीचे दी जा रही है। यदि आवश्यक समझा जाए तो व्यावहारिक स्तर पर सुविधानुसार यथोचित परिवर्तन किया जा सकता है।

1) प्रातःकाल 08:30 बजे सरकारी भवनों पर झण्डारोहण तथा अभिवादन हो और इस अवसर पर राष्ट्रगान के साथ संविधान में उल्लिखित संकल्पों के स्मरण की व्यवस्था की जाए।
2) शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रध्वज प्रातः 10:00 बजे फहराया जाए।
3) इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, धर्म-निरपेक्षता और साम्प्रदायिक सौहार्द की भावना को मजबूत बनाने पर बल दिया जाए।
4) समस्त शिक्षण संस्थाओं में इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिनमें राष्ट्रगान **'जन-गण-मन'** का सामूहिक गायन भी सम्मिलित हो। विद्यार्थियों को संक्षेप में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बताया जाए और सशस्त्र सैन्यबलों के बलिदान को नमन करते हुए देशभक्तों के जीवन के प्रेरक-प्रसंगों की चर्चा की जाए, जिससे राष्ट्रीय चेतना विकसित हो। नाटक, विचार गोष्ठी तथा

निबन्ध-लेखन की प्रतियोगिताएं भी यथासम्भव आयोजित कराई जाएं। इस सम्वन्ध में शिक्षा निदेशक यथोचित आदेश अलग से जारी करेंगे।

4. झण्डारोहण कार्यक्रम के तुरन्त बाद पुलिस परेड की जाए तथा पुलिस बैण्ड के माध्यम से कार्यक्रम भी आयोजित किया जाए। परेड की सलामी वहां उपस्थित केन्द्रीय/ प्रदेश सरकार के मा0 मंत्रिगण द्वारा ली जाए। यदि वे उपस्थित न हों, तो परेड की सलामी मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी लेंगे। यदि विधान परिषद के मा0 सभापति या मा0 उपसभापति अथवा विधानसभा के मा0 अध्यक्ष या मा0 उपाध्यक्ष जिले में मौजूद हों, तो उनसे झण्डारोहण करने का अनुरोध किया जाए। परेड में जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा सेना अथवा पुलिस बल के शहीदों की पत्नियों/ अभिभावकों को भी ससम्मान आमन्त्रित किया जाए।

5. दिन में शिक्षण संस्थाओं में खेलकूद, साइकिल रेस, दंगल आदि का आयोजन किया जाए। इस सम्बन्ध में खेल विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाए।

6. तीसरे प्रहर में एन0सी0सी0 स्काउट और गाइड आदि का सम्मिलित रूट मार्च कराया जाए।

7. अपराह्न में किसी खुले स्थान पर आम सभा का आयोजन किया जाए, जिसमें-

1) लोगों को तिरंगे झण्डे एवं गणतंत्र दिवस के गौरवशाली इतिहास तथा उसके महत्व के बारे में बताया जाए।
2) जनसाधारण को विशेष रूप से स्मरण कराने की चेष्टा की जाए कि हमारे अगणित देशभक्तों तथा अमर बलिदानियों के महान संघर्ष द्वारा जो स्वाधीनता हासिल की गई है, वह अमूल्य है और आगे उसकी रक्षा का दायित्व हमारे ऊपर और नई पीढ़ी पर है।
3) गणतंत्र की मूल अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हुए लोगों को प्रेरणा दी जाए कि देश व समाज का निर्माण प्रेम तथा सद्भावना, मेल-जोल एवं एक दूसरे के धर्म, जाति, विचारों व महापुरूषों का आदर करने से होता है।
4) गणतंत्र दिवस समारोह में स्थानीय स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, सशस्त्र सेना/ पैरामिलिट्री बल/ सशस्त्र पुलिस बल के पुरस्कृत वीरों, शहीदों के आश्रितों एवं अन्य राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित महानुभावों को मा0 जन प्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित किया जाए।
5) लोकसभा/ राज्यसभा के मा0 सदस्य अथवा विधान परिषद/ विधान सभा के मा0 सदस्य को बुलाया जाना सम्भव हो, तो उन्हें अवश्य आदरपूर्वक आमन्त्रित किया जाए।

8. बढ़ते हुए प्रदूषण तथा बढ़ती जनसंख्या से हमारी विकास यात्रा प्रभावित हो रही है। सुखी भविष्य के लिए स्वच्छ पर्यावरण तथा सीमित परिवार की आवश्यकता को रेखांकित किया जाए। जनसाधारण को जन-सभाओं तथा गोष्ठियों द्वारा यह समझाने का

प्रयास किया जाए कि राजनीतिक स्वाधीनता के बाद आर्थिक स्वाधीनता तथा सामाजिक बराबरी के लिए अनेक कदम उठाने हैं। इस दिशा में शासन द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जनमानस को अवगत कराया जाए।

9. राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों के विषय में जनमानस को अवगत कराते हुए उन्हें अपेक्षित योगदान के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही बेहतर वातावरण पैदा करके स्वच्छ प्रशासन देने के प्रयासों से आम जनता को अवगत कराया जाए। प्रदेश की वर्तमान सरकार का लक्ष्य जन आकांक्षाओं की पूर्ति तथा "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" है। राज्य सरकार सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है।

10. प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासन में जन सहभागिता, जनता की समस्याओं का निराकरण, जनजातियों के विकास, पर्यावरण संतुलन, रोजगार कार्यक्रम, स्वास्थ्य सुविधा एवं सुरक्षा, उद्योगों का विकास एवं स्थापना, ऐक्सप्रेसवेज व सड़क निर्माण, समाज कल्याण, महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण, पुलिस सुधार, शहरी विकास, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, शिक्षा को प्रोत्साहन, वृद्धों के कल्याण, किसानों के लिए सिंचाई हेतु मुफ्त पानी देते हुए उनकी आय दोगुनी करने तथा एक जिला-एक उत्पाद जैसे अनेक विकासपरक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हित तथा राज्य के समग्र विकास के लिए संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों, जिनका संलग्न '**परिशिष्ट**' में उल्लेख किया गया है, के सम्बन्ध में जन सभाओं में जनसाधारण को अवगत कराया जाए।

11. सार्वजनिक संस्थाओं और पंचायतों के कार्यकर्ताओं तथा जन-कल्याण का कार्य करने वाली अन्य समितियों की सहायता से साक्षरता को बढ़ावा देने तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सामाजिक सामंजस्य से ओतप्रोत जन सहभागी समाज की स्थापना के विशेष प्रयास किए गए हैं। यह देश सभी धर्मों और सम्प्रदायों में पारस्परिक विश्वास, सद्भावना एवं एकता से ही प्रगति और उन्नति कर सकता है।

12. वर्तमान सरकार सुशासन, सुरक्षा एवं विकास के रास्ते पर चलते हुए कानून व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरैन्स की नीति पर आगे बढ़ रही है। प्रदेश में शांति एवं सद्भाव का वातावरण सृजित करने के लिए इस अवसर पर जनमानस की अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए और लोगों को प्रेरित तथा जागरूक किया जाए।

<u>संलग्नकः-परिशिष्ट।</u>

भवदीय

(एस0पी0 गोयल)
मुख्य सचिव

संख्या-01/2026/45(1)/उन्नीस-2-2026-1139/86 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रदेश के समस्त उप मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/ मा0 राज्यमंत्री गण के निजी सचिव गण को मा0 मंत्री महोदय के सूचनार्थ।
2. समस्त महापौर, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद एवं अध्यक्ष, नगर पंचायत।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त/ विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयों के प्रमुख अधिकारीगण।
7. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण उ0प्र0।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारीगण।
10. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग-1/ सामान्य प्रशासन विभाग।
12. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

Digitally signed by
SANJAY PRASAD
Date: 21-01-2026
17:08:03

(संजय प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव

परिशिष्ट

प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हितों तथा राज्य के समग्र विकास के लिये संचालित महत्वपूर्ण योजनायें एवं कार्यक्रमः-

1. जनसमस्या निवारणः-

जन समस्याओं के तेजी से निस्तारण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी व्यवस्था की गयी है। मा0 मुख्यमंत्री जी के सरकारी आवास पर आयोजित ''जनता दर्शन'' में आये पीड़ितों/ शिकायतकर्ताओं की समस्याओं की सुनवाई करके उसका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा इन्टीग्रेटेड ग्रीवान्स रिड्रेसल सिस्टम (आई.जी.आर.एस.) के तहत दिनांक 09 जनवरी, 2026 तक प्राप्त कुल 6,34,35,971 संदर्भों में से 6,28,61,732 मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया गया। तहसीलों में 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' का आयोजन प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार तथा 'थाना दिवस' दूसरे एवं चौथे शनिवार को आयोजित करते हुए प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभारम्भ की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था की गई है।

2. धर्मार्थ कार्यः-

(1) श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा कोविड-2019 के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 में फिर से प्रारम्भ। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को रुपये एक लाख प्रति श्रद्धालु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था।

(2) सिन्धी समाज के सिंधु दर्शन के तीर्थ यात्रियों के लिए 20 हजार रुपये प्रतिव्यक्ति अनुदान दिये जाने की व्यवस्था।

(3) काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पूर्ण हो जाने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में 4-5 गुना वृद्धि।

(4) प्रदेश महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के सम्पर्क मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण किये जाने की परियोजना लोक निर्माण विभाग के माध्यम से संचालित करायी जा रही है।

(5) प्रदेश के बुजुर्ग संतों, पुरोहितों एवं पुजारियों के लिए विशेष बोर्ड गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

(6) जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केन्द्र की स्थापना।

(7) उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक भूमि पर स्थित 100 वर्ष से अधिक पुराने मन्दिर, मठ, धर्मशाला, कुण्ड, तीर्थस्थल आदि का जीर्णोद्धार/मरम्मत तथा भजन संध्या स्थल/सत्संग स्थल आदि का जीर्णोद्धार।

(8) वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 83 धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों को परीक्षणोपरान्त संस्तुति कर लोक निर्माण विभाग को बजट आवंटन हेतु प्रेषित।

(9) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित अयोध्या के जमथरा स्थित वैदिक वेलनेस सिटी से श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर तक पहुंच मार्ग की प्रस्तावित लागत रु0 2060.79 लाख से निर्माण कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित।

3. **कानून व्यवस्थाः-**

(1) प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और अधिक बेहतर बनाने तथा अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जारी।

(2) साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु 18 परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थाने, प्रदेश के समस्त जनपदीय थानों में साइबर सेल/हेल्प डेस्क की स्थापना। हेल्पलाइन नं0 1930 का संचालन एवं हेल्पलाइन की सहायता से वर्ष 2019 से माह नवम्बर, 2025 तक रु0 628.99 करोड़ की धनराशि फ्रीज़/होल्ड करायी गई।

(3) प्रदेश में लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद तथा प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू।

(4) 112 यू0पी0 परियोजना को और अधिक जनोपयोगी बनाने के साथ-साथ इसके संसाधनों में बढ़ोत्तरी कर कई नयी परियोजना जोड़ी गई हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षित माहौल देने के लिए लिंक सेवा शुरू करने का निर्णय, वीमेन पावर लाइन 1090, जी0आर0पी0, फायर सर्विस, महिला हेल्प लाइन 181 सेवा का एकीकरण।

(5) महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर पूर्णतया अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में एण्टी रोमियो स्क्वायड का गठन कर 22 मार्च 2017 से 10 दिसम्बर, 2025 तक 5,07,50,824 व्यक्तियों की चेकिंग करते हुए 1,85,71,138 व्यक्तियों को चेतावनी एवं 38,835 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही।

(6) प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 03 महिला पी0ए0सी0 बटालियन का गठन।

(7) राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की सुरक्षा व्यवस्था प्रोफेशनल तरीके से सुनिश्चित किये जाने हेतु पृथक से उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नामक नये सुरक्षा बल का गठन।

(8) प्रदेश के विभिन्न जनपदों के दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही में 20 मार्च 2017 से 10 दिसम्बर, 2025 तक 264 अपराधी मुठभेड़ में मारे गये एवं 10,827 घायल। 32,691 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिनमें 22,190 इनामी अपराधी हैं। 84,914 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर अधिनियम तथा 975 अपराधियों के विरुद्ध एन0एस0ए0 की कार्यवाही। गैंगेस्टर अधिनियम के अंतर्गत 145 अरब 23 करोड़ 42 लाख रुपये से अधिक लागत मूल्य की चल/अचल अवैध सम्पत्तियों का जब्तीकरण।

(9) प्रदेश स्तर पर चिन्हित 68 माफिया व उनके गैंग के सदस्यों/सहयोगियों में कुल 1,457 के विरुद्ध 865 अभियोग पंजीकृत तथा 634 की गिरफ्तारी, 359 शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्यवाही, 18 के विरुद्ध एन0एस0ए0, 780 के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट। माफिया एवं अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित रु0 4,137 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति जब्त। साथ ही 34 माफिया व 92 सहअपराधी को सघन पैरवी कराकर दण्डित कराया गया।

(10) ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत 01 जुलाई, 2023 से 10 दिसम्बर, 2025 तक विभिन्न अपराधों में कुल 1,23,077 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है। विभिन्न अपराधों में 78 प्रकरणों में मृत्युदण्ड, 10,191 प्रकरणों में आजीवन कारावास, 1,891 प्रकरणों में 20 वर्ष से अधिक सजा,

123 प्रकरणों में 15 से 19 वर्ष की सजा, 6,058 प्रकरणों में 10 से 14 वर्ष की सजा, 9,311 प्रकरणों में 05 से 09 वर्ष की सजा, 37,953 प्रकरणों में 05 वर्ष से कम की सजा। 57,472 जेल में काटी गई समयावधि की सजा।

(11) प्रदेश में 134 नये थाने, 07 महिला थानों की स्वीकृति, 86 नई पुलिस चौकी, 04 जल पुलिस चौकी, 78 महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र, 75 विद्युत निरोधक पुलिस थाना, 10 सतर्कता अधिष्ठान थाना, 04 आर्थिक अपराध इकाई थाने, 06 यूपीएसएसएफ की स्थापना, 75 साइबर क्राइम थाना व 06 नये नॉरकोटिक्स थानों की स्थापना।

(12) मानव तस्करी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु 75 एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थानों में परिवर्तित।

(13) 2,19,199 विभिन्न पदों पर पुलिस कर्मियों की भर्ती तथा कुल 1,55,544 पुलिस कर्मियों की विभिन्न पदों पर पदोन्नति। प्रदेश के समस्त थानों में कुल 19,839 महिला पुलिस कर्मियों को नियुक्त करते हुए 9,172 महिला बीटों का आवंटन।

(14) मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय "धार्मिक स्थलों पर निर्धारित मानक के अनुसार ध्वनि प्रसारित हो" के अनुपालन में अभियान के अंतर्गत 1,17,145 लाउडस्पीकर हटवाये गये तथा 1,85,468 लाउडस्पीकरों की ध्वनि मानक के अनुसार कम करायी गयी।

(15) यू0पी0-112 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 30 नवम्बर, 2025 तक त्वरित आपातकालीन सहायता के तहत 6,38,19,153 आपात सहायता इवेंट तैयार कराकर उन्हें आपात सहायता प्रदान की गई। यूपी-112 का रिस्पांस टाइम वर्तमान में 06 मिनट 41 सेकेण्ड है।

(16) महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत यू0पी0-112 द्वारा पूरे प्रदेश में 304 महिला पीआरवी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित की गई।

(17) प्रदेश की आम जनता से प्रभावी संवाद हेतु c-plan app से 20,17,182 सदस्य जोड़े जा चुकें हैं।

(18) 12 जनपदों-लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कन्नौज, अलीगढ़, बरेली, गोण्डा एवं मुरादाबाद में विधि विज्ञान प्रयोगशाला क्रियाशील।

(19) जन जागरूकता अभियान तथा अफवाहों पर नियंत्रण हेतु 05 लाख डिजिटल वॉलन्टियर को चिन्हित करके डिजिटल माध्यम से सक्रिय किया गया।

(20) ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के अंतर्गत 10 जुलाई 2023 से अब तक 13,52,634 सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन किया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश में हत्या , डकैती, अपहरण, स्नैचिंग, टप्पेबाजी आदि से सम्बन्धित कुल 9,618 अपराधों का खुलासा कर वैधानिक कार्यवाही की गई।

4. किसानों के हितार्थ ऐतिहासिक फैसलेः-

(1) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 से माह नवम्बर 2025 तक कुल 21 किस्तों में 3.12 करोड़ कृषकों को कुल रु0 94668.58 करोड़ की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे हस्तांतरित की गयी।

(2) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक कुल

61.98 लाख बीमित कृषकों को रु0 5110.23 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान। वित्तीय वर्ष 2025-26 में खरीफ के अंतर्गत कुल 20.92 लाख कृषकों ने बीमा कराया। नवम्बर, 2025 तक कुल 2.03 लाख कृषकों को रु0 138.89 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान।

(3) खेत तालाब योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्ष 2025-26 में माह नवम्बर 2025 तक कुल 32,732 खेत-तालाब का निर्माण।

(4) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से नवम्बर 2025 तक कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के कुल 86,128 सोलर पम्पों की स्थापना।

(5) प्रदेश के समस्त जनपदों में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के अंतर्गत 1,886 क्लस्टर के 94,300 हे0 क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती कार्यक्रम संचालित। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त जनपदों में 23,500 हे0 क्षेत्रफल में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम संचालित। प्रदेश में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2024-25 तक 1,76,180 हे0 क्षेत्रफल जैविक खेती में परिवर्तित। वर्ष 2025-26 में 1,27,180 हे0 क्षेत्रफल में जैविक खेती कार्यक्रम संचालित।

(6) किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 से माह नवम्बर2025 तक 546.85 लाख कुन्तल बीज वितरित। उत्पादन बढ़ोत्तरी हेतु वर्ष 2023-24 से माह नवम्बर 2025 तक 20.07 लाख तिलहन एवं 6.61 लाख दलहन बीज मिनीकिट वितरित।

(7) वित्तीय वर्ष 2017-18 से माह नवम्बर, 2025 तक कुल रु0 1,34,2978.3 करोड़ फसली ऋण वितरित एवं माह नवम्बर, 2025 तक कुल 492.46 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित।

(8) वित्तीय वर्ष 2017-18 से माह नवम्बर, 2025 तक कुल 806.70 लाख मी0टन विभिन्न उर्वरकों का वितरण एवं माह नवम्बर, 2025 तक कुल 152960.11 मी.टन/कि.ली. रक्षा रसायन का वितरण।

(9) कृषक उत्पादक संगठनों के गठन, प्रोत्साहन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु उ0प्र0 कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) नीति-2020 लागू। वर्ष 2021-22 से माह नवम्बर, 2025 तक कुल 4,041 एफपीओ का गठन।

(10) उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से माह नवम्बर 2025 तक कृषकों को कुल 6.13 लाख मिलेट्स (श्रीअन्न) मिनीकिट वितरित।

(11) विकसित कृषि संकल्प अभियान-2025 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में 14170 गांवों 9962 कार्यक्रमों का आयोजन।

(12) सहकारिता क्षेत्र में वर्ष 2025-26 के खरीफ एवं रबी अभियान में 30 दिसम्बर तक कुल 20.53 लाख मी0टन यूरिया तथा 10.84 लाख मी0टन फास्फेटिक उर्वरक का वितरण।

(13) अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के अंतर्गत 2025-26 में 19 दिसम्बर, 2025 तक रु0 10256.81 करोड़ का ऋण वितरित करते हुए 15.01 लाख से अधिक कृषकों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2025-26 में 7714 किसानों को रु0 231.69 करोड़ का दीर्घकालीन ऋण वितरित।

(14) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत युवा सहकार सम्मेलन-2025 एवं यू0पी0 कोऑपरेटिव एक्सपो, ड्रोन वितरण,

गोष्ठी, सेमिनॉर तथा सांस्कृतिककार्यक्रमों एवं 'रन फॉर मैराथन' आदि का आयोजन किया गया।

(15) एम-पैक्स सदस्यता महाअभियान-2025 के तहत 24 लाख नये सदस्य बनाये गये तथा रु0 43 करोड़ की पूंजी एकत्र एवं जिला सहकारी बैंकों में 2 लाख से अधिक खाते खोले गये एवं रु0 550 करोड़ की राशि जमा की गयी। एम-पैक्स में क्यू 0आर0 कोड/य0ूपी0आई0 आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू। भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों एवं एम-पैक्स से जुड़ी महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

(16) मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से कृषकों एवं व्यापारी/आढ़तियों हेतु संचालित कल्याणकारी योजना के अंतर्गत अप्रैल, 2025 से अक्टूबर, 2025 कुल 3248 कृषक लाभार्थियों को धनराशि रु0 375.58 लाख की अनुदान राशि वितरित।

(17) मण्डी समितियों के आंतरिक कार्यों को भी ऑनलाइन करने की दिशा में ई-मण्डी योजना के अंतर्गत अप्रैल, 2025 से अब तक लगभग 8,290 ई-लाइसेंस निर्गत किये गये। ई-नाम के अंतर्गत प्रदेश की 162 मण्डियों के अंतर्गत जनवरी, 2025 से अब तक रु0 2430.16 करोड़ का डिजिटल व्यापार किया गया।

(18) वर्ष-2025 से अब तक मैंगो पैक हाउस लखनऊ एवं सहारनपुर के माध्यम से 41.879 मीट्रिक टन आम प्रोसेस व पैकिंग कर विभिन्न देशों में निर्यात किया गया। रु0 32.56 करोड़ की लागत से 03 इंटीग्रेटेड पैक हाउस क्रमशः अमरोहा, वाराणसी एवं सहजनवाँ का निर्माण पूर्ण।

5. गन्ना किसानों को सुविधाएं:-

(1) गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

(2) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूर्व के पेराई सत्रों के भुगतान सहित अब तक गन्ना किसानों को रु0 3,01,942 करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का रिकार्ड भुगतान।

(3) प्रदेश में गन्ना उत्पादकता में 72.38 मी0 टन प्रति हे0 से बढ़कर 83.25 मी0 टन प्रति हे0 की वृद्धि हुई। वृद्धि से किसानों की आय में औसतन रु0 400 प्रति कुन्तल की दर से रु0 43,480 प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। प्रदेश में पेराई सत्र 2024-25 में 29.51 लाख हे0 में 47 लाख गन्ना किसानों द्वारा गन्ना खेती की गई।

(4) विगत 09 वर्षों में प्रदेश में 46.80 लाख हे0 क्षेत्रफल में गन्ने के साथ सहफसली खेती से कृषकों को लगभग 25 प्रतिशत की अतिरिक्त आय हुई।

(5) प्रदेश की 158 सहकारी गन्ना समितियों द्वारा स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट के माध्यम से पर्ची निर्गमन कार्य में पूर्ण पारदर्शिता। ऑनलाइन पोर्टल 'caneup.in' एवं 'e-Ganna' ऐप द्वारा सर्वे, सट्टा, कैलेण्डर, पर्ची एवं भुगतान संबंधी सूचना गन्ना किसानों को उपलब्ध।

(6) ऑनलाइन खाण्डसारी लाईसेंसिंग नीति जारी। प्रथम बार 285 नई खाण्डसारी इकाइयों हेतु लाईसेंस निर्गत। इससे 73,700 टी.सी.डी. की अतिरिक्त पेराई क्षमता सृजित हुई है।

(7) ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए प्रदेश के 37 जिलों में 3,163 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन, जिसमें 57,322 ग्रामीण महिला उद्यमी पंजीकृत। समूहों को अब

तक रु0 7,752 लाख का अनुदान वितरित।

(8) कृषक गन्ने की खेती से जुड़ी विभिन्न समस्याओं हेतु विभागीय टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त शिकायतों का निस्तारण एक निश्चित अवधि में कराया जा रहा है।

6. आबकारी विभाग -

(1) आबकारी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह नवम्बर, 2025 तक कुल रु0 35144.11 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जो विगत वर्ष के सापेक्ष 15.59 प्रतिशत अधिक है।

(2) शीरा के उत्पादन उठान एवं वितरण की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन।

(3) वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवम्बर, 2025 तक प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एव तस्करी के कुल 79,990 अभियोग दर्ज करते हुए 20.86 लाख ली0 अवैध मदिरा बरामद। अवैध मदिरा कारोबार में संलिप्त 15,085 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए 2,755 व्यक्तियों को जेल भेजा गया।

(4) आबकारी दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया को स्वच्छ एवं पारदर्शी बनाते हुए ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन।

(5) प्रदेश में राजस्व संवर्धन और उपभोक्ताओं को मानक मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु आबकारी विभाग द्वारा "ट्रैक एण्ड ट्रैश" प्रणाली लागू की गयी।

7. खाद्य एवं रसद विभाग -

(1) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग 1.85 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित। 02 निःशुल्क सिलेण्डर रिफिल वितरण के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 01 अक्टूबर, 2025 से अब तक 85.55 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों को निःशुल्क रिफिल सिलेण्डर वितरित।

(2) मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रबी विपणन वर्ष 2025-26 में गेहूँ खरीद में गत वर्ष के सापेक्ष रु0 150 की वृद्धि करते हुए गेहूँ का समर्थन मूल्य रु 0 2,425 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। 2,00,541 कृषकों से 10.27 लाख मी0 टन गेहूँ क्रय किया गया। धान खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कॉमन धान का समर्थन मूल्य रु 0 2,369 प्रति कुन्तल तथा ग्रेड-ए का समर्थन मूल्य रु0 2,389 प्रति कुन्तल निर्धारित करते हुए 3,50,819 कृषकों से 60 लाख मी0टन धान की खरीद की गई।

(3) भारत सरकार द्वारा मोटे अनाजों के उत्पादन, उपयोग के निर्देश के क्रम में प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 में बाजरा का न्यूनतम सर्मथन मूल्य रु 0 2,775 प्रति कुन्तल निर्धारित किया है। 2.20 लाख मी0टन बाजरा क्रय किया गया।

(4) मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में रु0 2,400 प्रति कुन्तल की दर से 8412.18 मी0टन मक्का की खरीद की गई। ज्वार खरीफ के तहत हाईब्रिड रु 0 3,699 व मालडण्डी रु0 3,749 प्रति कुन्तल की दर से 23354.20 मी0टन ज्वार की खरीद।

(5) प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त उचित दर दुकानों में ई-पॉस के माध्यम से लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण और ओ0टी0पी0 प्रमाणीकरण द्वारा खाद्यान्न वितरण कराया

जा रहा है।

(6) एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 जनवरी, 2024 से आगामी 05 वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

8. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण:-

(1) प्रदेश के कृषि सेक्टर के विकास में लगभग 28 प्रतिशत औद्यानिक फसलों का योगदान। प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्ता के फल एवं सब्जी के पौधों की उपलब्धता तथा नवीन तकनीकी हस्तांतरण के उद्देश्य से इजराइल सरकार के तकनीकी सहयोग से जनपद बस्ती में फल एवं कन्नौज में शाकभाजी, कौशाम्बी में फल तथा चन्दौली में सब्जी, सहारनपुर में फल तथा लखनऊ में ऑर्नामेन्टल सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस संचालित।

(2) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति। गैर-कृषि उपयोग घोषणा के लिए सर्किल रेट पर मूल्य का 02 प्रतिशत शुल्क के रूप में जमा करने से छूट। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत अब तक कुल 21,544 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के टर्म लोन स्वीकृत। मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवक/युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान कर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(3) राज्य सेक्टर की फल पट्टी विकास योजना के अंतर्गत 1,510 किसानों को पावर नैपसैक स्प्रेयर, 120 किसानों को ग्रेडिंग पैकिंग सेन्टर, 421 हे0 क्षेत्रफल में कैनॉपी प्रबंधन, 2,177 हे0 क्षेत्र में आईपीएम आदि सुविधाओं के साथ 2,950 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया।

(4) ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई की अधिक ग्राह्यता हेतु प्रदेश सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत के सापेक्ष 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत तथा स्प्रिंकलर के लिए लघु एवं सीमान्त कृषकों को 75 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 65 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। 5,43,185 हे0 में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सुविधा से 4,06,177 लाभार्थी लाभान्वित।

(5) एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा अन्य कार्यक्रमों में नवीन फलोद्यान, पुष्प, शाकभाजी एवं मसाला एवं औषधीय फसलों के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम सम्पादित कराये गये। योजना के तहत अब तक 2,38,206 हे0 क्षेत्र में विस्तार सम्पादित।

(6) आलू के उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन एवं तकनीक उपलब्ध कराने हेतु जनपद हापुड़ एवं कुशीनगर में आलू के लिए सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है।

(7) एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत निजी क्षेत्र के लाभार्थियों द्वारा स्थापित 199 शीतगृहों, 10 इन्टीग्रेटेड कोल्डचेन प्रणाली, 34 राइपनिंग चेम्बर, 08 मिनीमल प्रोसेसिंग इकाई, 1447 पैक हाउस एवं 410 प्याज भण्डार गृहों तथा 231 लोकॉस्ट प्रिजरवेशन यूनिट की स्थापना।

9. उद्योग:-

(1) ''बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण'' (बीडा) का गठन किया गया। यह प्राधिकरण झांसी जनपद के 33 राजस्व ग्रामों की कुल 56,000 एकड़ से अधिक भूमि में विकसित हो रहा

है।

(2) झांसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नोएडा की तर्ज पर एक नई इण्डस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जाएगी।

(3) उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के साथ-साथ भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है। देश की जीडीपी में प्रदेश का 9.2 प्रतिशत योगदान है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने उ0प्र0 को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है।

(4) फरवरी, 2024 में चौथी ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित हुई। अब तक रु0 12 लाख करोड़ से अधिक निवेश की 16,000 परियोजनाओं के चार ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह सम्पन्न। रु0 4.33 लाख करोड़ से अधिक निवेश की 8300 से अधिक परियोजनाएं वाणिज्यिक संचालन के चरण में पहुंच चुकी हैं तथा रु0 7.76 लाख करोड़ की 8100 से अधिक परियोजनाएं प्रगति पर।

(5) विश्व स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश की उल्लेखनीय प्रगति। प्रदेश में विकसित हुई वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाईयों को अपना माल भारत व विदेशों के बाजारों में भेजने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों की निर्बाध रूप से सुविधा।

(6) मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों की सहायता तथा प्रदेश में निवेश आकर्षण को सुदृढ़ करने और राज्य के सर्वसमावेशी विकास के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र डिजिटल निवेशक संबंध प्रबन्धन पोर्टल निवेश सारथी के पूरक के रूप में कार्य कर रहे हैं उद्यमी मित्र, जो योग्य विशेषज्ञ हैं तथा निवेशकों के साथ सुदृढ़ संबंध विकसित करने तथा बनाये रखने में सहायता कर रहे हैं।

(7) समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया के सरलीकरण तथा निवेशकों को समुचित सहायता प्रदान करने के लिए ''इन्वेस्ट यूपी'' द्वारा एक ऑनलाइन निवेशक संबंध प्रबंधन पोर्टल 'निवेश सारथी' विकसित किया गया है।

(8) उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में पहली बार विदेशी निवेश और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से एक समर्पित नीति- ''उत्तर प्रदेश एफडीआई/एफसीआई, फॉर्च्यून ग्लोब 500 एवं फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023 घोषित।

(9) ईज आफ डूइंग बिजनेस के तहत भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विन्डो पोर्टलों में से एक 'निवेश मित्र' का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके माध्यम से उद्यमियों को 45 विभागों की 525 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही है। उद्यमियों से लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदनों की 97 प्रतिशत से अधिक निस्तारण दर के साथ 'निवेश मित्र' देश में वर्तमान में कार्यरत सबसे कुशल सिंगल विन्डो पोर्टलों में से एक बन गया है। इसके माध्यम से अब तक 20 लाख से अधिक स्वीकृतियां डिजिटल रूप से जारी की गई हैं।

(10) उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के लिए उ0प्र0 दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अंतर्गत पंजीकरण पर्याप्त है तथा ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया

है।

(11) वर्ष 2024 के उपरान्त व्यापार सुधार कार्ययोजना के भाग के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्यम स्थापना, भूमि सुधार, श्रम पंजीकरण, पर्यावरण नियम, सिंगल विन्डो सिस्टम, उपयोगिता सुधार, निर्माण परमिट जैसे 24 सुधार, प्रमुख क्षेत्रों में 426 सुधारों को कार्यान्वित किया गया है।

(12) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई औद्योगिक विकास केन्द्र एवं निर्यात केन्द्र विकसित किये जा रहे हैं। वर्ष 2024 में प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रमुख नई नीतियों की घोषणा की थी, इनमें सेमीकन्डक्टर नीति, ग्रीन हाईड्रोजन नीति, उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, बायोप्लास्टिक नीति, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पॉर्क नीति, एयरोस्पेस एवं रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति एवं प्रतिस्पर्धी वैश्विक क्षमता केन्द्र नीति सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश फुटवियर, लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति- 2025, उ0प्र0 निर्यात प्रोत्साहन नीति तथा उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 प्रख्यापित। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को एक समग्र अवस्थापना योजना एवं कार्यान्वयन के परिवर्तनकारी माध्यम के रूप में सक्रिय रूप से स्वीकार किया गया है।

(13) उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने हेतु उत्तर प्रदेश डिफेन्स इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर में कार्य प्रगति पर। प्रस्तावित 5,000 हे0 भूमि में से 2,000 हे0 भूमि का अधिग्रहण। डीआरडीओ ब्रम्होस एयरोस्पेस , भारत डायनामिक्स, अडानी डिफेंस एण्ड एयरोस्पेस, इन्कोर रिसर्च लैब, एयरोले टेक्नोलॉजीज, डेल्टा कॉम्बैट सिस्टम्स, एमिटेक इलेक्ट्रॉनिक्स आदि को भूमि आवंटित। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अडानी डिफेंस एवं एयरोस्पेस परियोजना तथा ब्रम्होस इन्टीग्रेशन एण्ड टेस्टिंग फैसिलिटी सेन्टर का उद्घाटन किया गया है। ब्रम्होस इन्टीग्रेशन एवं परीक्षण सुविधा केन्द्र लखनऊ में मई 2025 में उद्घाटित किया गया है।

(14) **एक जनपद-एक उत्पाद** वित्त पोषण योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में अब तक 4,750 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुए रु0 26800.36 लाख मार्जिन मनी वितरित।

(15) विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत प्रदेश के पारंपरिक कारीगरों जैसे- बढ़ई , मोची, दर्जी, सोनार, लोहार, राजमिस्त्री, हलवाई, कुम्हार, नाई, टोकरी बुनकर आदि को कौशल प्रशिक्षण देते हुए उनको टूलकिट उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 75000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2025-26 में प्रशिक्षण हेतु 75000 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन।

(16) कौशल विकास एवं टूल किट वितरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 28000 लाभार्थियों को प्रशिक्षित कर टूलकिट वितरित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

(17) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में अब तक 9,613 लाभार्थियों को रु0 27745.70 लाख मार्जिन मनी वितरित।

(18) मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 1,17,851 लाभार्थी लाभान्वित। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-

25 में 03 इकाईयों को रु0 13.50 लाख की वित्तीय सहायता।

(19) प्रदेश के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश के नियोजित औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र के सहयोग की महती आवश्यकता के दृष्टिगत निजी औद्योगिक आस्थानों के विकास की पीएलईडीजीई योजना प्रारम्भ की गई है। प्रदेश में अब तक कुल 12 प्लेज पार्कों की स्वीकृति-जनपद उन्नाव, सहारनपुर, मेरठ, अमरोहा, सीतापुर, अलीगढ़, कानपुर देहात, हापुड़, सम्भल, झांसी, मथुरा एवं मुरादाबाद में की जा चुकी है।

(20) निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को उद्यम स्थापना के क्रम में वांछित अनापत्ति/लाइसेंस/अनुमति आदि को प्राप्त करने की पूर्णतया ऑनलाइन व्यवस्था। इसके तहत अब तक कुल 45,54,020 उद्यम पंजीकृत हुए।

10. सूचना प्रौद्योगिकी:-

(1) उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2021 के अंतर्गत संशोधित नीति में लक्ष्यों को उच्चीकृत करते हुए 08 डाटा सेन्टर पार्कस् तथा प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपये के निवेश से 900 मेगावॉट क्षमता का पुनरीक्षित लक्ष्य निर्धारित। 644 मेगावॉट क्षमता सहित 06 डाटा सेन्टर पार्क तथा 40 मेगावॉट से कम क्षमता वाले 02 डाटा सेन्टर इकाइयों की निवेश परियोजना स्वीकृत। 07 परियोजनाएं कार्यरत।

(2) उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020 प्रथम संशोधन के अंतर्गत कुल रु0 10634.83 करोड़ का निवेश और 1,14,463 से अधिक रोजगार संभावनाओं युक्त 37 परियोजनाओं की स्थापना हेतु अनुमोदन कर निवेशकों को लेटर ऑफ कम्फर्ट प्रदान किया गया। संशोधित नीति 2022 को अधिसूचित किया गया है, अब सम्पूर्ण प्रदेश इस नीति से आच्छादित है।

(3) प्रदेश सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति- 2022 के अंतर्गत रु0 7,150 करोड़ के निवेश तथा 63,500 से अधिक प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार युक्त इकाईयां स्थापित। प्रदेश में आईटी और आईटीईएस क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए आईटी पार्क की स्थापना की जा रही है।

(4) ए0आई0 प्रज्ञा कार्यक्रम का मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मई, 2025 को शुभारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य को आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में दक्ष बनाते हुए एक मिलियन नागरिकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

(5) उत्तर प्रदेश सेमीकन्डक्टर नीति-2024 प्रख्यापित। सेमीकन्डक्टर इकाईयों के लिए डेडीकेटेड प्रावधान प्रारम्भ करने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बना। नीति के अंतर्गत मेसर्स टार्क सेमीकन्डक्टर प्रा0लि0 रु0 28,440 करोड़ तथा मेसर्स वामा सुन्दरी इन्वेस्टमेंट प्रा0लि0 की रु0 3706.12 करोड़ के निवेश वाली 02 वृहद परियोजनाओं को निवेश हेतु अनुमोदन प्रदान कर लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत।

(6) उ0प्र0 स्टार्टअप नीति के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार द्वारा पंजीकृत 18,500 से अधिक स्टार्टअप सहित उत्तर प्रदेश में इकोसिस्टम का तीव्र गति से विस्तार। इनमें से 2,850 से अधिक स्टार्टअप स्टार्ट-इन-यूपी में पंजीकृत हैं।

डीपीआईआईटी द्वारा पंजीकृत स्टार्टअप्स् में महिलाओं के नेतृत्व में 9,000 से अधिक स्टार्टअप्स् हैं।

11. जी0एस0टी0:-

(1) वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रु0 114637.54 करोड़ का राजस्व प्राप्त। वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवम्बर, 2025 तक रु0 74415.90 करोड़ का राजस्व प्राप्त।

(2) जी0एस0टी0 में समाधान योजना के अंतर्गत प्रदेश के 2.89 लाख करदाता लाभान्वित।

(3) उ0प्र0 जी0एस0टी0 पंजीयन में 20.81 लाख सक्रिय करदाता के साथ देश में प्रथम स्थान पर है।

(4) मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत वर्ष 2024-25 में करदाताओं के 275 लाभार्थियों को रु0 27.50 करोड़ एवं वर्ष 2025-26 में अद्यतन 290 लाभार्थियों को रु0 28.92 करोड़ का भुगतान किया गया।

(5) जीएसटी दरों के रेशनलाइजेशन के निर्णय के अनुसार जीएसटी की प्रचलित 04 मुख्य स्लैब में से 12 प्रतिशत व 28 प्रतिशत स्लैब को समाप्त कर केवल 02 मुख्य स्लैब 5 प्रतिशत व 18 प्रतिशत की गई, जो 22 सितम्बर, 2025 से पूरे देश में प्रभावी।

12. नगर विकास:-

(1) स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत मिलियन प्लस शहरों में देश में उत्तर प्रदेश के कुल 08 शहरों ने स्थान बनाया, जिसमें लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। आगरा 10वें, गाजियाबाद 11वें, प्रयागराज 12वें, कानपुर 13वें, वाराणसी 17वें, मेरठ 23वें, अलीगढ़ 26वें स्थान पर रहे। महामहिम राष्ट्रपति भारत गणराज्य द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया।

(2) स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत प्रदेश के 03 से 10 लाख की जनसंख्या के 08 नगरों-गोरखपुर, मुरादाबाद, मथुरा, वृन्दावन, फिरोजाबाद, सहारनपुर, झांसी, बरेली एवं अयोध्या ने स्थान प्राप्त किया। 50 हजार से 03 लाख की जनसंख्या के 03 नगरों-बिजनौर, मोदीनगर, हरदोई तथा 20 हजार से 50 हजार जनसंख्या के नगर निकाय-अनूप शहर, सिधौली, खैरागढ़ ने स्थान प्राप्त किया।

(3) स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश के चयनित 10 शहरों में स्वच्छता, जलापूर्ति, सीवरेज, पथप्रकाश, स्मार्ट मार्ग व पार्किंग, पार्कों व वाटर बॉडीज के स्वीकृत कार्यों में 676 कार्य पूर्ण।

(4) राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत प्रदेश के 07 शहरों-अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन, मेरठ व शाहजहांपुर में 1410.55 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट रोड, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट क्लास, सोलर स्ट्रीट लाइट, हेल्थ एटीएम, सीसीटीवी, इन्टीग्रेशन, सूर्य नमस्कार, सीनियर केयर सेन्टर, जोनल कार्यालय, सोलर स्ट्रीट लाइट आदि कार्य प्रगति पर। स्वीकृत 110 कार्यों में 50 कार्य पूर्ण।

(5) प्रदेश के सभी 17 स्मार्ट शहरों की केन्द्रीकृत एकीकृत कमाण्ड एवं नियंत्रण केन्द्र से निगरानी के लिए स्मार्टसिटी राज्य केन्द्रीकृत डिजिटल निगरानी केन्द्र की स्थापना।

(6) **प्रधानमंत्री आवास योजना**-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन- 1.0 प्रदेश में संचालित।

(7) **अमृत योजना-2.0** के अन्तर्गत प्रदेश में स्वीकृत रु0 20472.44 करोड़ लागत की 552

योजनाएं स्वीकृत। जिसमें 354 पेयजल, 30 सीवरेज, 19 हरितभूमि एवं पार्क, 194 सरोवर के जीर्णोद्धार की परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें 42 परियोजनाएं पूर्ण।

(8) स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)-1.0 के अंतर्गत 8,99,634 व्यक्तिगत शौचालयों तथा 69,381 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल का निर्माण कराते हुए सभी स्थानीय निकाय ओडीएफ घोषित। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0 के अंतर्गत 44,265 व्यक्तिगत शौचालयों तथा 23,919 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल का निर्माण। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था। 82 नगरीय निकायों में 133.65 लाख टन लिगेसी वेस्ट एकत्रित, जिसमें से 82.76 लाख टन लिगेसी वेस्ट का निस्तारण।

(9) दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी) शहरी गरीबों के सर्वांगीण विकास हेतु अक्टूबर 2024 से प्रदेश के तीन पायलट शहर लखनऊ , वाराणसी, आगरा में संचालित।

(10) नगरीय निकायों में संचालित सुविधाओं एवं कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए नगरीय निकाय निदेशालय में प्रदेश स्तरीय निगरानी व्यवस्था। जन समस्याओं व शिकायतों की सुनवाई के लिए तकनीक आधारित 'सम्भव' पोर्टल की व्यवस्था। प्रदेशव्यापी टोल फ्री नं0 1533 संचालित। जनसामान्य की सुविधा के लिए सभी नगरीय निकायों में ई-नगर सेवा लागू।

(11) आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत कुल 762 नगरीय निकायों में से सबसे पिछड़े 100 नगर निकायों में आधारभूत अवसंरचना के निर्माण एवं विकास कार्य प्रगति पर।

(12) फेम इण्डिया स्कीम-2 के तहत नगरीय परिवहन को सुलभ व सुरक्षित बनाने हेतु 15 शहरों में 743 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिक बसों में सीसीटीवी एवं पैनिक बटन की व्यवस्था के साथ व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस स्थापित। इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग हेतु चार्जिंग स्टेशन के निर्माण की प्रक्रिया गतिशील। प्रदेश के 07 शहरों में 500 ई-ऑटो संचालित कराने की कार्यवाही गतिशील। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नगरीय परिवहन की बसों में कॉमन मोबिलिटी कार्ड-'वन यूपी वन कार्ड' की व्यवस्था।

(13) मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अरबन) के तहत नगरों में सुगम एवं सुरक्षित यातायात के लिए बेहतर सड़क निर्माण हेतु 17 नगर निगमों को धनराशि रु0 2976.94 करोड़ निर्गत।योजनान्तर्गत 800 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान।

(14) प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 'वंदन' योजना के तहत वर्ष 2025-26 में धनराशि रु0 100 करोड़ का प्राविधान। 74 परियोजनाएं प्रगति पर। योजना के तहत पेयजल , सीवरेज, जलनिकासी, सड़क, पथप्रकाश एवं सौन्दर्यीकरण आदि की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित, उच्चीकृत, सीमा विस्तारित नगर निकायों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं हेतु वर्ष 2025-26 में रु0 800 करोड़ का बजट प्राविधान।

13. जलशक्ति:-

(1) प्रदेश सरकार द्वारा कुल 1309 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण, जिसमें 52.11 लाख हे0 सिंचन क्षमता का सृजन हुआ तथा 241.26 लाख कृषक लाभान्वित।

(2) प्रदेश में कुल नहरों की लम्बाई 76,527 किमी0, जलाशयों की संख्या 71 तथा चलित

राजकीय नलकूप 36,094 हैं।

(3) प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक कुल 1,418 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण। 34.2 लाख हे0 से अधिक भूमि का बचाव करते हुए 258.78 लाख आबादी को लाभान्वित किया गया।

(4) केन-बेतवा लिंक नहर परियोजना मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य रिवर इण्टरलिंकिंग परियोजना है, जिसमें 90 प्रतिशत धनराशि का व्यय केन्द्र द्वारा एवं 10 प्रतिशत राज्य द्वारा प्रस्तावित है। इस परियोजना के पूर्ण होने से प्रदेश में 1700 एम0सी0एम0 पानी तथा 2.51 लाख हे0 क्षेत्र में सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध होगी।

(5) मध्य गंगा स्टेज-2 परियोजना में 94 प्रतिशत कार्य पूर्ण। परियोजना के पूर्ण होने पर जनपद अमरोहा, संभल, मुरादाबाद में कुल 1.46 लाख हे0 सिंचन क्षमता का सृजन होगा एवं 4,10,348 कृषक लाभान्वित होंगे। जनपद महराजगंज में रोहिन नदी पर रोहिन बैराज का निर्माण कार्य पूर्ण। परियोजना पूर्ण होने से 7,609 हे0 सिंचन क्षमता का सृजन एवं 16,000 कृषक लाभान्वित हुए। कनहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त झारखण्ड एवं छत्तीसगढ़ राज्य लाभान्वित होंगे। परियोजना पूर्ण होने पर 35,467 हे0 सिंचन क्षमता का सृजन, 2 लाख आबादी को पेयजल सुविधा, 108 ग्रामों के 53,000 कृषक लाभान्वित होंगे।

(6) जनपद महराजगंज में स्थित छोटी गण्डक नदी को पुनर्जीवित किया गया। नेपाल से जनपद महराजगंज में प्रवेश करने के उपरान्त यह नदी लगभग 10 किमी0 मृतप्राय हो गई थी, जिसको पुनर्जीवित करते हुए 22 ग्रामों की 48,500 आबादी तथा 1,950 हे0 कृषि योग्य भूमि को सुरक्षा प्रदान की गई।

14. नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्तिः-

(1) नमामि गंगे परियोजना राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के अन्तर्गत रु0 16177.12 करोड़ लागत की 74 सीवर शोधन परियोजनायें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। इनमें से 41 सीवरेज शोधन संयंत्र पूर्ण। 33 परियोजनायें निर्माणाधीन।

(2) वर्तमान में राज्य में कुल 5500 एमएलडी सीवेज उत्पन्न हो रहा है, कुल 152 सीवेज ट्रीटमेंन्ट प्लाण्ट जिनकी क्षमता 4651.60 एमएलडी जल शोधन हेतु संचालित। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उत्प्रवाह शोधन संबंधी 05 योजनाएं स्वीकृत। 80 घाटों एवं 15 शवदाह गृह का निर्माण। वाराणसी नगर में 26 घाटों तथा 08 कुण्डों के पुनरुद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य पूर्ण।

(3) नदियों के किनारें कुल 10431.96 हेक्टेयर क्षेत्र में 57.90 लाख पौधों का रोपण।

(4) प्रयागराज में 07 घाट का निर्माण कार्य पूर्ण एवं फतेहपुर तथा बलिया में 1-1 घाट का निर्माण कार्य प्रगति पर। नदी जल की गुणवत्ता की जाँच हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जाँच की जाती है। गंगा नदी पर 41 स्थानों से माह जुलाई 2025 में नेशनल वॉटर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत लिये गये सैम्पल की जाँच के उत्साहजनक नतीजे प्राप्त।

(5) गंगा नदी के समीप चिन्हांकित 275 आर्द्रभूमि का चिन्हांकन करते हुए 231 आर्द्रभूमि

हेतु इन्टीग्रेटेड वेटलैण्ड मैनेजमेंट प्लान का निरूपण कार्य पूर्ण। ऑर्गेनिक एवं प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देते हुए गंगा किनारे के जनपदों में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों की निर्मलता एवं अविरलता को सुनिश्चित करने हेतु जन-जन को नदियों से जोड़ने के प्रयास में 'अर्थगंगा' की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

(6) जल जीवन मिशन के अंतर्गत अनाच्छादित बस्तियों में "हर घर को नल से जल' उपलब्ध कराने के लक्ष्य के क्रम में विंध्य व बुन्देलखण्ड सहित अन्य जनपदों में अब तक 242.76 लाख से अधिक परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन द्वारा पाइप पेयजल योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध।

(7) प्रदेश में जल जीवन मिशन एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से कुल 1,16,340 स्कूलों एवं 1,55,136 आंगनबाड़ी केन्द्रों को पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति।

(8) भारत सरकार द्वारा संचालित अटल भूजल योजनांतर्गत उ0प्र0 अटल भूजल योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित।

(9) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक 'हर खेत को पानी' एवं मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 1,77,365 निःशुल्क बोरिंग/उथले नलकूप, 1,951 गहरी बोरिंग व 4,546 मध्यम बोरिंग नलकूप पूर्ण। 467 ब्लास्ट कूप का निर्माण। 3,58,491 हे0 सिंचन क्षमता का सृजन।

15. अवस्थापना सुविधाओं का विकास:-

(1) प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के विकास के लिए 340.824 किमी0 लम्बे 06 लेन चौड़े (08 लेन विस्तारणीय) पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण होकर यातायात संचालित। एक्सप्रेस-वे पर भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों के लिए जनपद सुल्तानपुर में 3.2 किमी0 लम्बी हवाई पट्टी का निर्माण।

(2) बुन्देलखण्ड में जनपद चित्रकूट के भरतकूप के पास से प्रारम्भ होकर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जनपद इटावा के कुदरैल ग्राम तक 296.07 किमी0 लम्बे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण होकर यातायात संचालित। एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर्स स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

(3) जनपद गोरखपुर के ग्राम जैतपुर के पास से प्रारम्भ होकर जनपद आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तक के गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का 04 लेन चौड़ा (06 लेन विस्तारणीय) 91.352 किमी0 लम्बाई की परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 20 जून 2025 को लोकार्पण किया गया।

(4) मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किमी0 लम्बाई के 06 लेन (08 लेन विस्तारणीय) गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य 94 प्रतिशत से अधिक पूर्ण।

(5) प्रदेश के समस्त एक्सप्रेसवेज के किनारे औद्योगिक केन्द्रों के विकास के लिए इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर योजनान्तर्गत 27 स्थानों पर इन्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक क्लस्टर्स की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी 06 नोड्स-अलीगढ़,

आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में, रक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि अर्जन। रक्षा उद्योग की 09 इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ।

(6) अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्याधाम संचालित। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या सहित प्रदेश में 04 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स क्रियाशील। जनपद गौतमबुद्धनगर में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (जेवर) उत्तर भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगा। प्रदेश के आपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या 16 (लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, हिंडन, बरेली, कुशीनगर, अयोध्या, आजमगढ़, अलीगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, सरसावा एवं मुरादाबाद) हो गयी है।

(7) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 16 क्रियाशील एयरपोर्टस् 78 डोमेस्टिक इण्टरनेशनल डेस्टिनेशंस से कनेक्टड हैं।

(8) जेवर में निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश देश में 05 इण्टरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य होगा।

16. ऊर्जा:-

(1) प्रदेश में स्थानीय व्यवधान को छोड़कर निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही। जनपद मुख्यालय 24 घंटे, तहसील मुख्यालय 21:30 घंटे एवं ग्रामीण 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(2) प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए वर्ष 2017 से माह नवम्बर, 2025 के मध्य 15,87,369 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफार्मर स्थापित। 33/11केवी सब स्टेशन के 765 विद्युत उपकेन्द्र निर्मित। 2,455 उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की गई।

(3) निजी नलकूप कृषकों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति के अंतर्गत 15 दिसम्बर, 2025 तक कुल 15,55,439 किसानों में से 11,50,567 उपभोक्ता मीटर्ड एवं 4,04,872 उपभोक्ता अनमीटर्ड हैं। कुल 10,42,408 किसानों ने योजना में पंजीकरण कराया है जिनकी रु0 643.76 करोड़ की ब्याज माफी की जा चुकी है।

(4) सी0एम0 ग्रिड योजना के अंतर्गत प्रदेश के 14 शहरों मुरादाबाद, मथुरा, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, शाहजहांपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर, फिरोजाबाद एवं कानपुर में फेज-1 में 76 तथा फेज-2 में 42 कार्य स्वीकृत, जिनपर कार्य प्रगति पर है।

(5) लाइन हानियों को कम करने के लिए एल0टी0 लाइन की खुले तारों व क्षतिग्रस्त केबल को 1,24,210 सर्किट किलो मीटर ए0बी0 केबिल में बदला गया। इससे लॉइन हानियों में कमी आई। वर्ष 2024-25 में लाइन लॉस 13.77 प्रतिशत रहा।

(6) बिजली बिल राहत योजना-2025 के अंतर्गत 14 दिसम्बर, 2025 तक इस योजना में कुल 6,93,518 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण करवाते हुए लाभ उठाया। एकमुस्त समाधान योजना के अंतर्गत 15 दिसम्बर, 2024 से 28 फरवरी, 2025 तक पंजीकृत 51,36,534 उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया गया।

(7) झटपट पोर्टल पर 2025-26 में माह नवम्बर 2025 तक 9,82,895 नये संयोजन निर्गत

किये गये।

(8) आर0डी0एस0एस0 योजनान्तर्गत 59.17 लाख स्मार्ट मीटर लगाये जा चुके हैं।

(9) उपभोक्ताओं को घर बैठे नये संयोजन लेने एवं बिल जमा करने की ऑनलाइन सुविधा। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपभोक्ताओं को उपभोक्ता सेवा केन्द्रों व जन सेवा केन्द्रों, स्वयं सहायता समूहों, राशन की दुकानों, विद्युत सखियों, मीटर रीडर के माध्यम से विद्युत बिल जमा करने की सुविधा।

(10) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण निजी नलकूप विद्युत उपभोक्ताओं को एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा।

(11) प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग हेतु सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन स्टेशनों के लागू वर्तमान टैरिफ को राज्य परिवहन के लिए भी अनुमन्य किया गया है।

(12) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में समस्त स्रोतों से वर्तमान में उत्पादन 32,259 मे0वॉट हो गई है। विद्युत वितरण के क्षेत्र में वर्ष 2025-26 में 11 जून, 2025 को 31,486 मे0वॉट आपूर्ति की गई, जो पूरे देश में सर्वाधिक है।

(13) ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के कार्यों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर।

(14) ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण तंत्र का सुदृढ़ीकरण। पारेषण तंत्र की क्षमता में वृद्धि करते हुए वर्ष 2024-25 में पारेषण क्षमता को बढ़ाकर 31,500 मेगावॉट किया गया। वर्ष 2025-26 में बढ़ाकर 32,500 मे0वॉट किया जाना लक्षित है।

(15) यूटीलिटी स्केल पावर प्रोजेक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत 2,815 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाओं की स्थापना का कार्य पूर्ण।

(16) पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट के तहत 1,091 मेगावॉट क्षमता की सौर परियोजनाएं पूर्ण। सोलर स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 2,65,633 संयंत्रों, सौभाग्य योजना के तहत दूरस्थ ग्रामों में 53,354 तथा अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत 17,602 सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना। पीएम कुसुम योजना घटक सी- 1 के अंतर्गत 5,858 ऑन सोलर पम्पों का सोलराइजेशन किया गया।

(17) सौर ऊर्जा नीति-2022 के तहत आगामी 05 वर्षों में 22 हजार मेगावॉट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित।

(18) उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के तहत कृषि व पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों से प्रेसमड अपशिष्ट आदि विभिन्न जैव अपशिष्टों का उपयोग कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लाण्ट, बायो-कोल, बायो डीजल व बायो एथेनॉल की इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन। जैव ऊर्जा नीति के अंतर्गत 62 परियोजनाओं की स्वीकृति। प्रदेश में 36 सीबीजी संयंत्रों की स्थापना कराते हुए देश में प्रथम स्थान प्राप्त। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 प्रख्यापित।

17. श्रम एवं सेवायोजन:-

(1) उ0प्र0 रोजगार मिशन का गठन। आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर के लिए जेम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बिड अवॉर्डी सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु व्यवस्था विकसित।

(2) ई-श्रम पोर्टल पर आरम्भ से अब तक 8.41 करोड़ असंगठित श्रमिक पंजीकृत। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

(3) श्रमिकों के कल्याणार्थ योजनाएं संचालित। डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत चालू वर्ष में 02 लाभार्थियों को रु0 40,000 वितरित।

(4) बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत ऐसे बाल श्रमिकों जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है अथवा वे किसी गम्भीर रोग से ग्रसित होने के कारण कार्य करने की स्थिति में नहीं है, ऐसे कामकाजी बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की धनराशि प्रत्येक माह रु 0 1,000 प्रति बालक एवं रु0 1,200 प्रति बालिका दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु0 3.00 करोड़ की धनराशि आवंटित।

(5) उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर लाये जाने के उद्देश्य से विगत 08 वर्षों में प्रदेश में कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत अब तक 30,136 कारखाने पंजीकृत, जिनमें 9,699 नये कारखाने पंजीकृत।

(6) विदेशों में रोजगार हेतु प्रदेश के 5,978 से अधिक निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजा गया है। 1336 निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त जर्मनी, जापान, यूएई इत्यादि देशों में भी केयरगिवर एवं नर्सिंग की रिक्तियां प्राप्त।

(7) कौशल प्राप्त कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं जनसामान्य को स्थानीय सेवाएं प्रदान करने हेतु सेवामित्र पोर्टल की व्यवस्था। सेवामित्र पोर्टल पर 53,463 कुशल कामगार पंजीकृत। मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार/स्वरोजगार कौशल प्रशिक्षण, अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से रोजगार सृजन की कार्यवाही। कुल 12,580 रोजगार मेलों के माध्यम से 15,35,253 अभ्यर्थियों का चयन करते हुए निजी क्षेत्र में सेवायोजित कराया गया।

(8) समाज के वंचित तबकों के बच्चों को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा देने हेतु प्रदेश के 18 मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना तथा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ।

(9) प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक कुल 7,01,368 श्रमिक आच्छादित।

18. शिक्षा:-

(1) प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत् कक्षा 01 से 08 तक के छात्र-छात्राओं को हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा की निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों एवं कार्यपुस्तिकाओं के साथ दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल लिपि में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी। शैक्षिक सत्र 2025-26 से कक्षा 1, 2 एवं 3 हेतु एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित एससीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी गयी हैं।

(2) शैक्षिक सत्र 2025-26 में अब तक प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत 1.29 करोड़ छात्र-छात्राओं को

02 सेट यूनीफार्म, जूता-मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी के क्रय से सम्बन्धित धनराशि बच्चों के माता-पिता/अभिभावक के आधार सीडेड बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रति छात्र-छात्रा रु0 1,200/- धनराशि अन्तरित की गयी है।

(3) प्रदेश के छात्र-छात्राओं के शत-प्रतिशत नामांकन एवं नियमित उपस्थिति में वृद्धि हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों, विकास खण्ड एवं विद्यालयों में ''स्कूल चलो अभियान'' कार्यक्रम का प्रथम चरण दिनांक 01 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2025 तथा द्वितीय चरण दिनांक 01 जुलाई से 15 जुलाई, 2025 तक संचालित किया गया। अभियान के दौरान परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से समस्त छात्र-छात्राओं को विद्यालयों में नामांकित कराया गया।

(4) पीएमश्री योजना के अन्तर्गत 1,722 (1565 बेसिक शिक्षा एवं 157 माध्यमिक) विद्यालय आच्छादित किया गया है। माध्यमिक विद्यालयों में से 109 में आईसीटी प्रयोगशालाएं हैं। 48 चालू वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया है। कुल 1129 कम्पोजिट विद्यालयों में से 799 विद्यालयों में आईसीटी प्रयोगशालाएं हैं। शेष 330 में प्रोक्योरमेन्ट की प्रक्रिया गतिमान।

(5) मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय के अंतर्गत 141 विद्यालयों के निर्माण हेतु भूमि चयनित। 50 विद्यालयों का निर्माण आरम्भ। 72 मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय हेतु रु0 51 करोड़ की धनराशि निर्गत।

(6) शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बालिकाओं के लिए कक्षा 6 से 12 तक पूर्व आवासीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था। कक्षा- 06 से 08 तक के समस्त 746 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का कक्षा 12 तक उच्चीकरण। विद्यालयों में आईसीटी लैब एवं स्मार्ट क्लास की स्थापना की गयी।

(7) 71877 प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आँगनबाड़ी केन्द्रों/बालवाटिका में विभिन्न रचनात्मक खेल खिलौने आदि गतिविधियां संचालित।

(8) प्रदेश में वर्तमान में कुल 29,216 माध्यमिक विद्यालय संचालित। संस्कृत शिक्षा के उन्नयन के दृष्टिगत 107 संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों को नवीन मान्यता। 60 नये राजकीय इण्टर कॉलेजों की स्वीकृति। 280 नये राजकीय इण्टर कॉलेज/हाईस्कूल का संचालन, 41 नये इण्टर कॉलेज एवं 215 राजकीय हाईस्कूल का निर्माण कार्य पूर्ण। पूर्वांचल के प्रथम एवं प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल गोरखपुर की स्थापना व संचालन।

(9) प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत प्रदेश के 489 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय कक्ष, 301 प्रयोगशाला, 1150 मल्टीपर्पज हॉल, 598 शौचालय, 1048 पेयजल, 482 अतिरिक्त कक्षाकक्ष, 1,167 चहारदीवारी, 184 विद्यालयों में विद्युतीकरण आदि सुविधाओं से संतृप्त किया जा रहा है। 18 विद्यालय के जर्जर भवनों का निर्माण।

(10) पीएमश्री योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 157 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को चयनित किया गया। विद्यार्थियों में तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में स्वीकृत 778 आई0सी0टी0 लैब स्थापित एवं क्रियाशील, 1236 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित।

(11) गत 08 वर्षों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 6,796 सहायक अध्यापक,

2,069 प्रवक्ता एवं 326 प्रधानाचार्य सहित कुल 9,191 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कुल 34,074 शिक्षकों का चयन।

(12) प्रदेश में संस्कृत शिक्षा में रोजगारपरक डिप्लोमा पाठ्यक्रम पौरोहित्य, व्यावहारिक वास्तुशास्त्र, व्यावहारिक ज्योतिष एवं योग विज्ञानम का संचालन। अद्यतन 34 संस्थाओं को डिप्लोमा पाठ्क्रम संचालन की मान्यता।

(13) प्रदेश में कुल 324 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित। वर्तमान में प्रवेशित सीटों की संख्या 1.84 लाख हो गई है। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड एवं उनके कन्सोर्टियम द्वारा सी.एस.आर. के सहयोग से 149 आई.टी.आई. एवं एक प्रादेशिक स्टॉफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र में कौशलम केन्द्र की स्थापना की गई है, जिसमें 11 दीर्घकालीन न्यू ऐज कोर्स एवं 15 शार्ट टर्म कोर्सेज का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। अप्रेन्टिसशिप योजना के अंतर्गत इस वर्ष 79481 युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई में शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु योजित किया गया।

(14) वर्तमान में डिप्लोमा स्तरीय 195 संस्थाएं संचालित हैं, जिनमें 147 राजकीय एवं 19 अनुदानित एवं 29 संस्थाएं पीपीपी मोड पर हैं। 89 पॉलीटेक्निकों में लैंग्वेज लैब तथा 251 स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना।

(15) प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के संकल्प के दृष्टिगत उद्योगों को आधुनिक प्रौद्योगिकी में दक्ष मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए सत्र 2022-23 से न्यू एज कोर्स के अंतर्गत एक वर्षीय 04 नवीन पाठ्यक्रम यथा पीजी डिप्लोमा इन डाटा साइन्स एवं मशीन लर्निंग, इण्टरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रारम्भ। 121 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं के उन्नयन हेतु एक्सिलेंस सेन्टर स्थापित कराये जाने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी लि0 से प्राप्त प्रस्ताव अनुमोदित।

(16) प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों में समर्थ पोर्टल का क्रियान्वयन सत्र 2025-26 से समस्त विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राओं का प्रवेश समर्थ पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित।

(17) प्रदेश सरकार के गत 09 वर्षों के कार्यकाल में 06 नये राज्य विश्वविद्यालय यथा राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़, माँ शाकुम्भरी वि0वि0 सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव वि0वि0 आजमगढ़, माँ विन्ध्यवासिनी वि0वि0 मिर्जापुर, गुरू जम्भेश्वर वि0वि0 मुरादाबाद एवं माँ पाटेश्वरी देवी वि0वि0 बलरामपुर की स्थापना।

(18) प्रदेश में नव स्थापित 71 नये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना व संचालन। प्रदेश में कुल 22 राज्य विश्वविद्यालय, 01 मुक्त विश्वविद्यालय, 01 डीम्ड विश्वविद्यालय, 52 निजी विश्वविद्यालय, 217 राजकीय महाविद्यालय, 331 सहायता प्राप्त महाविद्यालय, 7,482 वित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं।

19. समाज कल्याण:-

(1) ''मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना'' के अंतर्गत प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार हेतु निःशुल्क ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत वर्ष 2025-26 में अब तक कुल 23,801 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

(2) वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के तहत लगभग 67.50 लाख पेंशनरों को 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है।

(3) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 53,607 लाभार्थियों को आर्थिक सहायता।

(4) समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के शैक्षिक उत्थान हेतु प्रदेश में कुल 101 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (पूर्ववर्ती नाम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय) संचालित, जिसमें वर्ष 2025-26 में 35,195 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत।

(5) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रति युगल विवाह हेतु धनराशि रु0 51 हजार से बढ़ाकर रु0 01 लाख कर दी गई है। चालू वर्ष में अब तक 42,328 युगलों का विवाह सम्पन्न कराया गया।

(6) प्रदेश के समस्त जनपदों में वृद्धाश्रम संचालित। इसके माध्यम से वर्ष 2025-26 में अब तक 6,724 वृद्ध लाभान्वित।

(7) पूर्वदशम छात्रवृत्ति वितरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में अब तक अनुसूचित जाति के 2,07,960 छात्र-छात्राओं एवं सामान्य वर्ग के 73,526 छात्र-छात्राओं को तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत 2026-26 में अनुसूचित जाति के 1,34,172 छात्र-छात्राओं तथा सामान्य वर्ग के 56,307 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति वितरित।

(8) पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 23 दिसम्बर, 2025 तक 6,90,349 छात्र-छात्राओं के खातों में रु0 147.75 करोड़ की धनराशि हस्तान्तरित। दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 23 दिसम्बर, 2025 तक 5,85,954 छात्र-छात्राओं के खातों में रु0 175.54 करोड़ हस्तान्तरित।

(9) पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 23 दिसम्बर, 2025 तक 72,296 लाभार्थियों के खाते में रु0 144.59 करोड़ की धनराशि हस्तान्तरित।

(10) पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए ओ-लेवल व सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 18159 ओ-लेवल एवं 4233 सी0सी0सी0 में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(11) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2024-25 में मूलभूत सुविधाओं आईटीआई, राजकीय इण्टर कॉलेज, पाइप पेयजल, सीवरेज, छात्रावास आदि 405 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण। वर्ष 2025-26 में 116 परियोजनाओं में से 17 परियोजनाएं पूर्ण।

(12) अल्पसंख्यक पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 64,312 छात्र-छात्राओं को रु0 1903.64 लाख एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 51,519 छात्र-छात्राओं को रु0 1572.42 लाख की छात्रवृत्ति वितरित।

(13) प्रदेश में 11,57,556 दिव्यांगजनों को 1,000 रु0 प्रतिमाह की दर से दिव्यांग भरण पोषण अनुदान/पेंशन तथा 12,807 लाभार्थियों को 3,000 रु0 प्रतिमाह की दर से कुष्ठावस्था पेंशन वितरित।

(14) शल्य चिकित्सा अनुदान के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में 166 दिव्यांगजनों को शल्य चिकित्सा अनुदान। दुकान निर्माण/संचालन योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 772 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 तक कुल 3,84,543 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया एवं वर्ष 2025-26 में अद्यतन 17,454 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया।

(15) डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में वर्तमान में विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 5,718 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। दिव्यांगजन की उच्च शिक्षा को सुगम बनाने के दृष्टिगत जनपद चित्रकूट में जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिस्थापित। कुल 2,075 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत।

20. महिला एवं बाल विकासः-

(1) राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत प्रदेश में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2025-26 में अब तक 1 लाख से अधिक बच्चों को उनके माता-पिता/अभिभावकों से मिलाया गया तथा 42,776 बच्चों को स्पांसरशिप से तथा 11 बच्चों को फास्टर केयर के अंतर्गत लाभान्वित किया गया। 1,887 बालकों को अब तक दत्तक ग्रहण के माध्यम से पुनर्वासित किया गया।

(2) बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु ''मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना'' लागू, जिसके अन्तर्गत लाभार्थी बालिका को 25,000 रु0 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जाता है। अब तक 26.78 लाख पात्र बालिकायें लाभान्वित। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3.28 लाख लाभार्थियों को रु0 130.03 करोड़ की धनराशि अंतरित।

(3) बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक कुल 13,612 गतिविधियों के माध्यम से 25.5 लाख महिलाओं तथा बालिकाओं को जागरूक किया गया।

(4) '181' महिला हेल्पलाइन के अंतर्गत अब तक 8.42 लाख महिलाओं/बालिकाओं को सहायता प्रदान की गई। वन स्टॉप सेन्टर योजना के अंतर्गत कुल 2.39 लाख मामले संदर्भित किये गये हैं।

(5) जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु ''रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष'' की स्थापना। इस योजना के अंतर्गत अद्यतन 14,559 पीड़िताओं को रु0 511.20 करोड़ की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई। प्रदेश में महिलाओं के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु 08 महिला शरणालय, 01 संरक्षण गृह, 01 मानसिक मंदित महिलाओं हेतु प्रकोष्ठ का संचालन। जिनमें विभिन्न समस्याओं से पीड़ित 252 संवासिनी एवं 25 उनके बच्चे निवासरत हैं।

(6) पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत 38.58 लाख निराश्रित महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक की दर से पेंशन दी जा रही है।

(7) प्रदेश में कोविड-19 के कारण अनाथ हुये बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि में आर्थिक सहयोग हेतु "उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10904 बच्चों को 4,000 रु0 प्रतिमाह तथा 1,003 बच्चों को लैपटॉप वितरित। "उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)" के अंतर्गत 94,014 बच्चों को 2,500 रु0 प्रतिमाह आर्थिक सहायता सहित अन्य सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

21. राजस्व:-

(1) स्वामित्व योजना के अंतर्गत 90,530 ग्रामों में ड्रोन सर्वेक्षण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए दिसम्बर, 2025 तक कुल 71,344 ग्रामों में कुल 1,09,11,057 घरौनियां तैयार की जा चुकी हैं।

(2) अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने हेतु प्रदेश स्तर पर 4 स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन। प्रदेश में एंटी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से संबंधित 16 दिसम्बर 2025 तक कुल 4,18,399 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 4,15,433 शिकायतें निस्तारित। अभियान के अंतर्गत कुल 72029.46 हे0 भूमि अवैध अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी तथा 24,892 राजस्व वाद, 1,135 सिविल वाद व 4,742 एफआईआर दर्ज कराई गई।

(3) मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 11 दिसम्बर, 2025 तक 18,145 लाभार्थियों को रु0 873.58 करोड़ वितरित की गई।

(4) छः वर्ष में खतौनी बनाये जाने की व्यवस्था को समाप्त कर खतौनी को अब 13 कॉलम के स्थान पर 19 कॉलम करते हुए इसे रियल टाइम करने की नई व्यवस्था लागू की गई है। इस हेतु 99.87 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

22. परिवहन:-

(1) प्रदेश सरकार द्वारा पड़ोसी देश नेपाल हेतु दिल्ली से महेन्द्र नगर एवं रुपैडिहा से नेपालगंज स्थानों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय बस का संचालन। अन्तर्राज्यीय परिवहन के अंतर्गत उतराखण्ड, हरियाणा, राजस्थान, बिहार व हिमांचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब राज्य के लिए बसों का संचालन किया जा रहा है।

(2) मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 06 सितम्बर, 2025 को 08 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, 16 इलेक्ट्रिक बस, 01 रेट्रोफिट इलेक्ट्रिक बस, 10 सीएनजी बस, 02 वातानुकूलित बस, 20 टाटा बस, 43 आईसर बस सहित 400 बीएस-6 बसों का शुभारम्भ किया गया। मुख्यमंत्री जी द्वारा यूपी मार्गदर्शी मोबाइल ऐप का शुभारम्भ एवं 07 बस स्टेशनों का शिलान्यास किया गया।

(3) असेवित गांवों को सेवित किये जाने हेतु 1,540 नए रूटस् का फार्मुलेशन एवं उन पर निगम की बसें चलाये जाने की प्रक्रिया गतिशील। मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के लिए मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बस हेतु रु0 100 करोड़ व चार्जिंग स्टेशन हेतु रु0 50 करोड़ प्राविधानित।

(4) सभी बसों में गति नियंत्रण हेतु स्पीड कन्ट्रोल डिवाइस स्थापित। यात्रियों की यात्रा सुरक्षित बनाने हेतु 680 बसों में एण्टी स्लीप डिवाइस स्थापित, 13,300 बसों में वीएलटी डिवाइस स्थापित। वर्तमान में 660 वातानुकूलित जनरथ बसें, 39 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें, 49 वातानुकूलित पिंक बसें, 14 वोल्वो एवं 02 वातानुकूलित शयनयान, 33 वातानुकूलित शताब्दी बसें विभिन्न मार्गों पर संचालित। दिव्यांग सशक्तीकरण के अंतर्गत 202 बस स्टेशनों पर व्हील चेयर,

रैम्प, रेलिंग, प्रसाधनों की व्यवस्था।

(5) रक्षाबन्धन पर्व पर वर्ष 2025 में 78.26 लाख महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश ग्रामीण अजीविका मिशन, कौशल विकास मिशन, एनसीसी/एनएसएस/ स्काउट गाइड संस्था के माध्यम से 2,000 महिला अभ्यर्थियों को सीधे संविदा परिचालक के पद पर आबद्धीकरण किया गया।

23. सड़क एवं यातायात योजना (लोक निर्माण विभाग):-

(1) वर्तमान सरकार के अब तक कार्यकाल में लगभग 34,875 किमी. लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण। अब तक लगभग 27,461 किमी0 लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण। 02 लेन मार्ग बनाने/चौड़ीकरण करते हुए 193 विकास खण्ड मुख्यालयों को जोड़ने हेतु 1,444 किलोमीटर लम्बाई हेतु रु0 2,515 करोड़ की स्वीकृतियां निर्गत, 160 कार्य पूर्ण। 26 तहसील मुख्यालयों को 02 लेन मार्ग से जोड़ने हेतु लम्बाई 270 किलोमीटर चौड़ीकरण हेतु रु0 391 करोड़ की स्वीकृतियां निर्गत, 26 कार्य पूर्ण।

(2) केन्द्रीय मार्ग एवं अवसंरचना निधि से धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण , नवनिर्माण विकास योजना के अंतर्गत पौराणिक एवं धार्मिक स्थलों के 1437.98 किलोमीटर के 355 कार्यो में 58 कार्य पूर्ण। चीनी मिल मार्ग योजना के अंतर्गत 3706.62 किलोमीटर के 3579 कार्यों में 2,520 कार्य पूर्ण।

(3) 280 दीर्घ सेतुओं को पहुंच मार्ग सहित पूर्ण। 137 रेल उपरिगामी सेतुओं तथा 16 फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूर्ण कर आवागमन चालू। 1,181 लघु सेतु पहुंच मार्ग सहित पूर्ण। इसके अतिरिक्त, 116 दीर्घ सेतु, 595 लघु सेतु, 110 रेल उपरिगामी सेतु तथा 10 फ्लाईओवर, कुल 831 सेतु निर्माणाधीन।

(4) प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं जनसामान्य को यातायात की सुविधा देने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय मार्गों के विकास, जिसके क्रम में 1,474 किमी0 लम्बाई की 133 सड़कों में से 102 सड़कों का निर्माण पूर्ण।

(5) प्रदेश में 04 लेन के कुल 80 मार्ग लम्बाई 681 किलोमीटर एवं लागत रु0 13811 करोड़ स्वीकृत, जिसमें 22 कार्य पूर्ण।

(6) सिंगल यूज वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग करते हुए अब तक 793 किमी0 लम्बाई के 466 कार्य पूर्ण।

(7) लोक निर्माण विभाग द्वारा गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए प्रतिदिन 09 किलोमीटर के औसत से चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, 11 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत से नये मार्गों का नवनिर्माण।

(8) प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों की श्रेणी परिवर्तित करते हुए कुल 70 नये राज्य मार्ग लम्बाई 5,604 किमी0 घोषित, इन मार्गों को दो लेन चौड़ा करने का कार्य किया जायेगा।

(9) मार्ग सुरक्षा/यातायात सुरक्षा हेतु चिन्हित 567 ब्लैक स्पॉट का थर्ड पार्टी सेफ्टी आडिट। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 256 ब्लैक स्पॉट कार्यों के सापेक्ष 230 कार्य की स्वीकृति।

24. पंचायतीराज:-

(1) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के अंतर्गत अब तक कुल 55,40,186 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण। 58,646 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, सामुदायिक शौचालय निर्माण, सर्वाधिक ओडीएफ प्लस मॉडल ग्राम घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश में प्रथम राज्य।

(2) ओडीएफ प्लस मानक श्रेणी के तहत प्रदेश में अब तक 93,861 ग्रामों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। 103 प्लास्टिक प्रबंधन इकाई, 115 गोबरधन योजनान्तर्गत बायोगैस प्लाण्ट, 4,01,197 सामुदायिक सोख्ता गड्ढे, 52,392 ग्रे-वॉटर प्रबंधन, 64,35,512 लाभार्थियों के निर्मित शौचालय के रेट्रोफिटिंग का कार्य कराया गया।

(3) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायतों में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य आबादी एवं अतिथियों/प्रवासियों हेतु सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है।

(4) प्रत्येक ग्राम पंचायत में शतप्रतिशत ग्राम सचिवालयों की स्थापना।

(5) पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा उनका सुदृढ़ीकरण किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना केन्द्र पुनरोधित योजना के रूप में संचालित।

(6) बहुउद्देशीय पंचायत भवन की स्थापना ग्राम पंचायतों में किये जाने के उद्देश्य से अब तक 1345 बहुउद्देशीय पंचायत भवन पूर्ण।

(7) मैन्युअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत सीवर/सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान मृतक के आश्रित व्यक्ति को रु0 10 लाख की निर्धारित धनराशि देने के प्रावधान के तहत 13 आश्रितों को रु0 130 लाख की धनराशि दी गई।

(8) पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों हेतु प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने हेतु मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत योजना के प्रारम्भ से अब तक 2,502 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करते हुए धनराशि हस्तांतरित।

(9) ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की पद पर रहते हुए मृत्यु की दशा में उनके परिवार/आश्रित के सहायतार्थ पंचायत कल्याण कोष की स्थापना। इस कोष के अंतर्गत अब तक कुल 4,339 आश्रित परिवारों को सहायता राशि दी गई।

25. पर्यटन एवं संस्कृति:-

(1) प्रदेश में धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अनेक लोकप्रिय धार्मिक ऐतिहासिक एवं पौराणिक पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जिनमें अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, नैमिषारण्य, विंध्याचल, चित्रकूट, मथुरा-वृन्दावन, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, संकिसा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल हैं।

(2) उत्तर प्रदेश में वर्ष 2025 में जनवरी से सितम्बर, 2025 तक कुल 1377075696 पर्यटक भ्रमण हेतु आये, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 1373414030 एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 3661666 रही। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 में निर्धारित की गई रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य को घरेलू पर्यटकों के आगमन में प्रथम स्थान एवं विदेशी पर्यटक के

आगमन के मामले में चौथा स्थान प्राप्त हुआ। प्रयागराज महाकुम्भ-2025 में कुल 66 करोड़ 30 लाख पर्यटक आये, जिनमे भारतीय पर्यटकों की संख्या 66,09,52,000 एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 20,48,000 थी।

(3) मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अंतर्गत 50-50 प्रतिशत की सहभागिता पर न्यूनतम 25 लाख रुपये तथा अधिकतम रु0 5 करोड़ तक के प्रस्तावों पर विचार किये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत कुल 41 परियोजनाएं क्रियान्वित हैं तथा 2024-25 में 17 परियोजनाएं क्रियान्वित हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 02 परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। अन्य 04 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) उत्तर प्रदेश ईको-टूरिज्म विकास बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में स्थित पर्यटन स्थलों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में ईको-टूरिज्म विकास हेतु 50 करोड़ रुपये की लागत से 16 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(5) उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में युवा पर्यटन क्लबों का गठन।

(6) मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के अनुरूप ग्रामीण पर्यटन की परिकल्पना के अनुसार कृषि एवं ग्राम्य पर्यटन की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए विशिष्ट ग्रामों को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनाने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

(7) पर्यटन नीति-2022 के अंतर्गत निवेशकों द्वारा प्रदेश में लगभग रु0 37688.58 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।

(8) प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों पर मेले/महोत्सवों का आयोजन किया गया।

(9) दीपोत्सव अयोध्या-छोटी दीपावली के अवसर पर 17 से 19 अक्टूबर, 2025 को अयोध्या में राम की पैड़ी पर 26,17,215 दीप जलाकर फिर से वर्ल्ड रिकार्ड बनाया गया तथा देव दीपावली काशी में 03 से 05 नवम्बर, 2025 तक राजघाट से अस्सी घाट के मध्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इसके अलावा रंगोत्सव-मथुरा में स्थित बरसाना में होली का आयोजन किया गया।

(10) टूरिस्ट गाइड लाइसेंस प्रदान किये जाने के अंतर्गत 850 राज्य स्तरीय गाइडों का चयन।

(11) पेइंगगेस्ट योजना के अंतर्गत देशी/विदेशी पर्यटकों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं, इससे भवन स्वामियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होता है।

(12) बेड एण्ड ब्रेकफॉस्ट योजना के अंतर्गत पेइंगगेस्ट योजना के समान भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा बेड एवं ब्रेकफॉस्ट की योजना तैयार की गई है। इस व्यवस्था को लागू करके उसका प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है।

(13) विश्व पर्यटन दिवस के अंतर्गत 27 सितम्बर को सम्पूर्ण विश्व में मनाये जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस-2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

(14) जनपद लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य 25 नवम्बर, 2024 से वायुयान सेवाओं का शुभारम्भ किया गया।

(15) उत्तर प्रदेश की पहचान इसकी समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली विरासत एवं इतिहास तथा प्रगतिशील सोच से होती है। यह भूमि, कला, साहित्य, संगीत और धर्म की महानविभूतियों की

जन्मस्थली रही है। प्रदेश का संस्कृति विभाग समृद्ध इतिहास के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के लिए सतत प्रयासरत है ताकि इसकी विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया जा सके।

(16) संस्कृति विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न गतिविधियों/सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत 14 अप्रैल, 2025 को डॉ0 भीमराव आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, रानी अहिल्याबाई होल्कर की 300वी जयंती के अवसर पर 29 मई 2025 को लखनऊ में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। 28 जून 2025 को दानबीर भामाशाह की जयंती पर व्यापारिक कल्याण दिवस का आयोजन , उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 24-26 जनवरी, 2025 तक ''विरासत व विकास, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश'' की थीम पर आयोजन किया गया। अक्टूबर 2025 की अवधि में अयोध्या में सावन झूले का आयोजन। श्रीराम मन्दिर अयोध्या में श्रीराम मन्दिर के शिखर पर ध्वजारोहण के अवसर पर 24 एवं 25 नवम्बर को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।

(17) उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 24 जनवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश का नाम पूरे विश्व में रोशन करने वाले 06 महानुभावों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया।

(18) लखनऊ में उत्तर प्रदेश संस्कृति संग्रहालय का निर्माण कार्य प्रगति पर , जनपद प्रयागराज में निषाद गुहा सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना।

(19) सार्वजनिक रामलीला स्थलों की चहारदीवारी निर्माण योजना के अंतर्गत मंच निर्माण , सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य तेजी से पूरा कराया जा रहा है।

(20) वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 330 कलाकारों को पेंशन का भुगतान किया गया।

(21) वाद्य यंत्र योजना के अंतर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों को वाद्य यंत्रों का एक-एक सेट प्रदान किया गया।

(22) संगीत नाटक अकादमी द्वारा कला एवं संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 145 महानुभावों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

26. ग्राम्य विकास, दुग्ध, पशुधन व मत्स्य विभाग:-

(1) उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश में कुल 9.11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों, 63,519 ग्राम संगठनों एवं 3,272 संकुल स्तरीय संघों के माध्यम से 99 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को आच्छादित किया गया है।

(2) ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने हेतु बी0सी0 सखी योजना के अंतर्गत 50,179 बी0सी0 सखी का प्रमाणीकरण पूर्ण किया गया। 39,880 बी0सी0 सखी द्वारा कार्य करते हुए रु0 40 हजार करोड़ से अधिक का वित्तीय लेन-देन किया गया व रु0 109 करोड़ का लाभांश अर्जित किया गया।

(3) लखपति महिला योजना के अंतर्गत 33 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हॉकन, 29 लाख से अधिक आजीविका रजिस्टर पर प्रगति अंकित तथा कुल 18 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी हैं।

(4) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत कुल 36.56 लाख आवास आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 36.37 लाख आवास पूर्ण। शेष निर्माणाधीन।

(5) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में गत वर्षों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गये।

(6) मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से अब तक 4.61 लाख आवंटित आवास के सापेक्ष 3.65 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण।

(7) मनरेगा में मानव दिवस सृजन में वित्तीय वर्ष 2025-26 में महिला सहभागिता 42 प्रतिशत है, 23.51 लाख महिला श्रमिकों को रोजगार मिला।

(8) मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में भौतिक लक्ष्य 2,000 लाख मानव दिवस निर्धारित, जिसके सापेक्ष 29 दिसम्बर, 2025 तक 1905.55 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए रु0 6956.19 करोड़ की धनराशि व्यय एवं 49.04 लाख परिवारों को मिला रोजगार।

(9) भारत सरकार द्वारा विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम- 2025 पारित किया गया है।

(10) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-तृतीय के अंतर्गत कुल स्वीकृत मार्गों में से 24,08 सड़कें पूर्ण। शेष मार्ग निर्माणाधीन। पीएमजीएसवाई-4 के तहत ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप के द्वारा सर्वेक्षण कार्य किया जा चुका है। ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से अद्यतन आबादी के अनुसार 14,176 बसावटों का सर्वेक्षण किया जा चुका है।

(11) जैव विविधता से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश में पूरे देश का सर्वाधिक पशुधन है। 20वीं पशुगणना-2019 के अनुसार प्रदेश में 190.20 लाख गोवंश, 330.17 लाख महिषवंश, 9.85 लाख भेड़, 144.80 लाख बकरी, 4.09 लाख सूकर हैं।

(12) प्रदेश में गोसंरक्षण के लिए कुल 7,540 अस्थायी/स्थायी गोवंश आश्रय स्थल स्थापित, इनमें 12,38,762 निराश्रित गोवंश संरक्षित। मा0 मुख्यमंत्री सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन के अंतर्गत 1,13,534 पशुपालकों को अद्यतन 1,81,339 गोवंश दिये गये। चारा नीति-2024-29 एवं उत्तर प्रदेश पशु आहार नीति प्रख्यापित।

(13) दुग्ध उत्पादन में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2024-25 में दुग्ध उत्पादन 388.15 लाख मी0टन है।

(14) उद्यमिता विकास एवं निवेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 38 प्रोजेक्ट के एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कराये गये हैं। जी0बी0सी0-2024-25 के अंतर्गत 32 इकाईयों के प्रोजेक्ट स्वीकृत, जिसके द्वारा रु0 136.23 करोड़ का निवेश होगा।

(15) बकरी पालन योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में 739 इकाइयां स्थापित तथा वर्ष 2025-26 में 739 इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य। भेड़ पालन योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में 225 इकाइयां स्थापित एवं वर्ष 2025-26 हेतु 225 इकाइयों को स्थापित करने का लक्ष्य।

(16) कुक्कुट विकास नीति-2022 के अंतर्गत 206 इकाइयों की स्थापना हेतु ऑनलाइन लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया गया। इसमें रु0 472.163 करोड़ का निवेश एवं 23,580 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन।

(17) चिकित्सा सुविधायें एवं रोग नियंत्रण के तहत वर्ष 2024-25 में 474.94 लाख पशुओं की

चिकित्सा की गई। वर्ष 2025-26 में अब तक 293.65 लाख पशुओं की चिकित्सा की गई। वर्ष 2024-25 में कुल 1648.89 लाख टीकाकरण किया गया। चालू वर्ष में अब तक 809.65 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया। संचालित 520 मोबाइल वेटरिनरी से वर्ष 2024-25 में 32.34 लाख पशुओं की चिकित्सा की गई।

(18) वर्ष 2018 में प्रदेश में मछली उत्पादन 6.3 लाख मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर

13.31 लाख मीट्रिक टन हो गया। यह दोगुने से अधिक की वृद्धि है।

(19) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक 2163 हे0 तालाब का निर्माण, 291 हे0 रियरिंग इकाई, 1068 बायोफ्लॉक, 68 मत्स्य बीज हैचरी, 1122 आर0ए0एस0, 47 इंसुलेटेड व्हीकल, 352 मोटर साइकिल, 113 थ्री व्हीलर, 2212 साइकिल, 78 कियोस्क, 105 जिन्दा मछली विक्रय केन्द्र, 945 केज, 169 फीड मिल, 04 मोबाइल लैब और 05 ऑर्नामेंटल रियरिंग यूनिट के कार्य पूर्ण कराये गये।

(20) निषादराज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत 1,389 मछुआरों को नाव वितरित की गई।

(21) मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत सुधारे गये ग्राम सभा के पट्टे के अब तक 1473.335 हे0 तालाबों में मत्स्य पालकों को निवेश एवं मत्स्य बीज बैंक पर अनुदान उपलब्ध कराया गया।

(22) मत्स्य पालकों के लिए संचालित किसान क्रेडिट योजना के तहत अब तक 1,28,938 किसान क्रेडिट कार्ड जारी।

27. वन एवं पर्यावरण:-

(1) 'एक पेड़ माँ के नाम' वृक्षारोपण महाभियान-2025 के अंतर्गत 09 जुलाई, 2025 को वन एवं वन्य जीव विभाग सहित 26 राजकीय विभागों की सहभागिता से प्रदेश में 37.21 करोड़ पौध रोपित किये गये। इस प्रकार विगत 09 वर्षों में 242.13 करोड़ पौध रोपित किये गये।

(2) माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्बन फाइनैंसिंग के अंतर्गत अयोध्या में 07 कृषकों को अर्जित/उत्पादित कार्बन क्रेडिट की धनराशि वितरित की। प्रदेश में अब तक कृषकों को कार्बन क्रेडिट की पार्शियल प्रीपेमेन्ट की रु0 32.80 लाख धनराशि वितरित। 01 जुलाई से 07 जुलाई, 2025 (वन महोत्सव) के बीच सरकारी अस्पतालों में जन्में 18,348 नवजात शिशुओं को ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट के साथ एक पौधा भेंट के रूप में उनके अभिभावकों को दिया गया।

(3) 'एक पेड़ माँ के नाम' वृक्षारोपण महाभियान-2025 के अंतर्गत नवीन विशिष्ट वनों यथा अटल वन, एकता वन, एकलब्य वन, गोपाल वन, त्रिवेणी वन, आक्सी वन, शौर्य/सिंदूर वन, रक्षाबंधन वाटिका आदि की स्थापना।

(4) भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा निर्गत भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट- 2023 के अनुसार वर्ष 2017 से 2023 के बीच उत्तर प्रदेश का वनावरण व वृक्षावरण में 3 लाख 38 हजार एकड़ की वृद्धि।

(5) दुधवा टाइगर रिजर्व/दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में ईको पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु 25 नवम्बर, 2024 को लखनऊ से पलिया तक हवाई सेवा का शुभारम्भ किया गया।

(6) प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण में विशेष उपलब्धि रही। प्रदेश में बाघों की संख्या 173 से बढ़कर 205, हाथियों की संख्या 232 से बढ़कर 352, डॉल्फिन सबसे अधिक 2397 उत्तर प्रदेश में हो गई है। गोरखपुर के कैम्पियरगंज रेंज में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 06 सितम्बर, 2024 को एशिया के प्रथम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र का उद्घाटन किया गया।

(7) प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस की जून 2025 में हुई गणना के अनुसार संख्या 19,994 से बढ़कर अब 20,281 हो गई है।

28. खेल, युवा कल्याण एवं कौशल विकासः-

(1) अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती हेतु नियमावली प्रख्यापित। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 पदक विजेताओं की सीधे राजपत्रित पदों पर भर्ती की गई है, जिनमें 05 खिलाड़ियों को पुलिस उपाधीक्षक, 02 खिलाड़ियों को नायब तहसीलदार, 01 खिलाड़ी को यात्री/माल कर अधिकारी एवं 02 खिलाड़ियों को जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक दल अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है।

(2) प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कीर्तिमान स्थापित करने वाले खिलाड़ियों को भी नगद पुरस्कार दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता कुल 25 खिलाडियों को रु0 24.13 करोड़ वितरित।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य खेल नीति-2023 लागू। एक जिला एक खेल योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद में खेलो इण्डिया सेन्टर की स्थापना। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, मेरठ की स्थापना के लिए रु0 38853.75 लाख की स्वीकृति धनराशि से निर्माण कार्य प्रगति पर। वाराणसी के सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का व्यापक विकास वाराणसी स्मार्ट सिटी द्वारा रु0 315.48 करोड़ की लागत से कराया जायेगा।

(4) ग्रामीण स्तर पर अब तक कुल 125 स्टेडियम/मल्टीपर्पज हॉल स्थापित। खेलो इण्डिया के अंतर्गत 21 परियोजनाएं स्वीकृत, 20 पूर्ण। मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत स्वीकृत 20 परियोजनाओं में से 19 पूर्ण। प्रदेश में पंचायत स्तर पर गठित 96 हजार युवक/महिला मंगल दलों को खेल प्रोत्साहन सामग्री देकर प्रोत्साहित किया गया। विवेकानन्द यूथ अवार्ड में मंगल दलों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु क्रमशः 01 लाख, 50 हजार एवं 25 हजार रुपये की धनराशि दी जा रही है।

(5) उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से अब तक 14 लाख से अधिक युवाओं को निःशुल्क रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान कर 6 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार/ स्वरोजगार से जोड़कर सेवायोजित किया गया।

(6) संकल्प परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं में उद्यमिता विकसित करने की दृष्टि से इन्टरप्रीन्योरशिप डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डिया के माध्यम से प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालित किये गये।

(7) प्रवीण प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब तक 315 राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 26,000 से अधिक छात्र-छात्राओं का कौशल प्रशिक्षण पूर्ण। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत 3,450 छात्राओं को भी निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण।

29. सूचना विभाग:-

(1) वर्तमान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी, विकासपरक, रोजगारपरक एवं महत्वपूर्ण योजनाओं, कार्यक्रमों का होर्डिंग, एलईडी, विज्ञापन, विभिन्न प्रकार के प्रकाशन, प्रदर्शनी, गीत एवं नाट्य, लेख, फीचर, सफलता की कहानी, प्रेस विज्ञप्तियों, ई-संदेश, सोशल मीडिया, फोटो, फिल्म आदि विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

(2) उ0प्र0 फिल्म बन्धु/फिल्म विकास परिषद हेतु यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त फिल्म सिटी का निर्माण गतिमान।

(3) मा0 मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब स्थापित। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं, नीतियों, उपलब्धियों आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार। विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पोर्टल का शुभारम्भ।

30. खादी तथा ग्रामोद्योग:-

(1) मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 तक 6,440 इकाइयां स्थापित करते हुए 1,22,883 लोगों को रोजगार। वर्ष 2025-26 में अब तक 94 इकाई की स्थापना एवं 2,586 लोगों को रोजगार।

(2) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 31,121 इकाइयां स्थापित करते हुए 3,13,019 लोगों को रोजगार। पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक कुल 9,541 इकाइयों को लाभान्वित किया गया। पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना के अंतर्गत 1,270 संस्थाओं के 4,92,884 कत्तिनों एवं बुनकरों को लाभान्वित किया गया।

(3) मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 1,357 इकाईयों की स्थापना तथा 4,071 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। माटी कला टूल किट वितरण योजनान्तर्गत 16,307 लाभार्थियों को विद्युत चालित चाक उपलब्ध कराते हुए 32,614 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध।

31. भूतत्व एवं खनिकर्म:-

(1) समस्त खनिज सेवाओं को एक छतरी के नीचे लाते हुए ऑनलाइन निस्तारण के लिए "UP Mines Mitra" पोर्टल विकसित।

(2) जन सामान्य हेतु ऑनलाइन नागरिक/किसान सेवाएं:- जिनमें कृषि भूमि, निजी भूमि, साधारण मिट्टी, भवन/विकास परियोजनाओं से निकले उपखनिजों के निस्तारण, भण्डारण लाइसेंस आदि के लिए 10 सेवाएं प्रदत्त। कुल 3,73,655 आवेदन निस्तारित।

(3) एकीकृत खनन निगरानी तंत्र के अंतर्गत कुल क्रियाशील 58 चेकगेट, 1,56,625 माइन टैग लगे वाहन और कुल निर्गत नोटिस 2,13,445 के सापेक्ष कुल रु0 6,34,51,14,719 की धनराशि की वसूली।

32. **चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणः-**

(1) राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में निःक्षय पोषण योजना के अंतर्गत पंजीकृत समस्त क्षय रोगियों को रु0 500 प्रतिमाह के स्थान पर 01 नवम्बर, 2024 से रु0 1000 प्रतिमाह कर दिया गया है। वर्ष 2018 से वर्ष 2025 तक 32 लाख क्षय रोगियों के खाते में रु0 1,022 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया। 95 हजार निक्षय मित्रों द्वारा 7 लाख क्षय रोगियों को लगभग 9.69 लाख पोषण पोटली प्रदान की गई।

(2) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत अब तक कुल 5.46 करोड़ लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये। आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर, जिसमें 1.93 करोड़ परिवार आच्छादित। प्रदेश में प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्रों का संचालन करते हुए गुणवत्तापरक नान ब्राण्डेड जेनरिक औषधियां सस्ती दरों उपलब्ध करायी जा रही हैं।

(3) प्रदेश में '108' एम्बुलेंस सेवा की 2,200 तथा '102' एम्बुलेंस सेवा संचालित। 375 ए0एल0एस0 एम्बुलेंस सेवा संचालित हैं। नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा के अंतर्गत 54 जनपदों में 170 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन। फरवरी 2019 से माह अक्टूबर, 2025 तक लगभग 1.80 करोड़ रोगी उपचारित।

(4) प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के चिकित्सालयों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। प्रदेश के 227 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर टेलीरेडियोलॉजी सेवा संचालित, इसके तहत लगभग 41.46 लाख मरीज लाभान्वित।

(5) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम प्रदेश में संचालित।

(6) डेंगू मलेरिया जैपनीज़ इन्सेफेलाइटिस, दिमागी बुखार जैसे संचारी रोगों पर पूर्ण नियंत्रण। इन रोगों की जांच एवं उपचार हेतु उचित सुविधाएं सर्वोच्च प्राथमिकता से दी जा रही हैं। ए0ई0एस0 रोगियों में 94 प्रतिशत एवं मृत्यु संख्या में 99 प्रतिशत तथा जे0ई0 रोगियों की संख्या में 96 प्रतिशत एवं मृत्यु में 99 प्रतिशत की कमी आयी है।

(7) 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 13,51,044 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में 35,25,853, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 8,79,642 शिशुओं का उपचार।

(8) महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय का लोकार्पण मा0 राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कर-कमलों से 01 जुलाई, 2025 को किया गया एवं संचालित। प्रदेश में आयुष मिशन के माध्यम से कुल 356 राजकीय चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु राष्ट्रीय मिशन भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त, निर्माण कार्य प्रगति पर।

(9) प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2,110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1,585 होम्योपैथिक चिकित्सायों के साथ ही 08 आयुर्वेदिक कॉलेज, 02 यूनानी कॉलेज, 09 होम्योपैथिक

कॉलेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय संचालित।

(10) प्रदेश में 1,034 आयुष आरोग्य मंदिर एवं 225 योग वेलनेस सेन्टर संचालित।

(11) वर्तमान में प्रदेश में 83 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 45 राज्य सरकार एवं 02 ई0एस0आई0 द्वारा एवं 36 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के संचालित मेडिकल कॉलेजों/चिकित्सा संस्थानों में एम0बी0बी0एस0 की कुल सीटें 5,450 एवं निजी क्षेत्र की सीटें 7,350 हो गई हैं।

(12) कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान में कुल 220 बेड क्रियाशील हैं।

(13) उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा वर्ष 2025 में नर्सिंग के कुल 27 नये प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये जिनमें कुल 6,340 सीटें हैं। वर्ष 2025 में पैरामेडिकल के कुल 12 नये प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये जिनमें 1,390 सीटें हैं।

<u>33. विशेष:- उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में नम्बर एक बना।</u>

(1) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अन्तर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

(2) अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान।

(3) 96 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।

(4) वर्ष 2025 में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में 26,17,215 दीप जलाकर पुनः गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज।

(5) कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना।

(6) गन्ना एवं चीनी, खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में लगातार प्रथम स्थान।

(7) ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।

(8) कौशल विकास नीति को लागू करने तथा सेवायोजित कराने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम राज्य।

(9) ई-मार्केट प्लेस (जेम) के अन्तर्गत सर्वाधिक सरकारी खरीददारी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना।

(10) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।

(11) 07 एक्सप्रेस-वे एवं 04 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे क्रियाशील, 01 निर्माणाधीन, उत्तर प्रदेश सड़क व एयर कनेक्टिविटी में हुआ सर्वश्रेष्ठ।

(12) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1.85 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश प्रथम।

(13) वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में इस वर्ष 37.21 करोड़ पौधों का रिकॉर्ड रोपण।

(14) देश में एथेनॉल के उत्पादन व आपूर्ति करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

(15) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की कार्ययोजना विकसित करने में देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी।

(16) एनपीएस ट्रेडर्स के अंतर्गत कामगारों का पंजीयन कराने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

(17) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अचीवर्स स्टेट।

(18) ई-प्रॉशीक्यूशन प्रणाली के उपयोग में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

....